झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान– सभा

द्वादश (मॉनसून) सत्र

वर्ग– 02

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 10 श्रावण, 1945 (श0) / 01 अगस्त, 2023 (ई0) को

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
25–	वन– 10	श्री अमित कुमार मंडल	योजना बनाना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	24.07.2023
26–	टन– 03	श्री समीर कुमार मोहन्ती	प्रशिक्षण केन्द्र खोलना।	पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	22.07.2023
27–	ख– 10	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	नियमावली लागू करना।	खान एवं भूतत्व	25.07.2023
*28–	उत्त 05	श्री ढुलू महतो	नियोजन निति बनाना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	22.07.2023
29–	वन– 08	श्री राजेश कच्छप	दोषियों को दंडित करना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	22.07.2023
30–	वन– 05	श्रीमती सुनिता चौधरी	आवास दिलाना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	22.07.2023
31–	वन– 01	डॉ0 लम्बोदर महतो	अबैध कब्जा हटाना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	22.07.2023
32–	टन– 01	डॉ0 लम्बोदर महतो	स्टेडियम का निर्माण।	पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा काय	22.07.2023

*28, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ज्ञापांक-1641, दिनांक-31.07.23 के द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानांतरित।

01.	02.	03.	04.	05.	06
33– ख–	07	डॉ0 इरफान अंसारी	अबैध खनन पर रोक	खान एवं भूतत्व	25.07.2023
34– वन–	03	श्री समीर कुमार मोहन्ती	ठोस निराकरण करना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	22.07.2023
35– टन–	07	श्री केदार हजरा	बीश्रेणी में विकसित करना।	पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	22.07.2023
36– शि–	05	श्रीमती सुनिता चौधरी	अनियमितता पर कार्रवाई।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22.07.2023
37– उत्त	10	डॉ0 इरफान अंसारी	पढ़ाई प्रारम्भ कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	25.07.2023
38– ख–	01	श्री कमलेश कुमार सिंह	बालू उपलब्ध कराना।	खान एवं भूतत्व	22.07.2023
39– ख–	09	श्री दिनेश बिलियम मरांडी	कम्पनी पर कार्रवाई।	खान एवं भूतत्व	25.07.2023
40– उ–	01	श्री कमलेश कुमार सिंह	उद्योग स्थापित करना।	उद्योग	22.07.2023
41– उत्त	07	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	बकाया राशि का भुगतान।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	24.07.2023
42– शि–	07	श्री रामदास सोरेन	+2 का पढ़ाई प्रारम्भ कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.07.2023
43– वन–	02	डॉ0 नीरा यादव	घेराबंदी कराना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	22.07.2023
44– टन–	04	डॉ0 नीरा यादव	स्टेडियम का निर्माण।	पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	22.07.2023
45– ख–	08	श्री संजीब सरदार	अवैध खनन पर रोक।	खान एवं भूतत्व	25.07.2023
☆ 46– वन–	09	श्री निरल पुरती	बनाधिकार पट्टा का हस्तान्तरण।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	24.07.2023
47– शि–	08	श्री नलिन सोरेन	निर्माण कार्य चालू कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.07.2023

कृ0 पृ0 उ0

☆ वन विभाग के पत्र सं० 2852, दिनांक 27-07-23 के द्वारा ...
... [illegible]

01.	02.	03.	04.	05.	06
48— उत्त	06	श्री केदार हजरा	भवन का निर्माण।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	22.07.2023
49— ख—	04	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	नियोजन दिलाना।	खान एवं भूतत्व	24.07.2023
50— उत्त	09	श्री अमित कुमार यादव	पठन—पाठन कार्य प्रारम्भ कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	25.07.2023
51— वन—	04	श्री उमाशंकर अकेला	अतिक्रमण मुक्त करना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	22.07.2023
52— टन—	08	श्री सुदिव्य कुमार	पर्यटकीय सुविधा बहाल कराना।	पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	25.07.2023
53— उत्त	01	श्री बिकास कुमार मुण्डा	बेबसाईट पर जानकारी देना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	22.07.2023
54— ख—	05	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	परमिट देना।	खान एवं भूतत्व	24.07.2023
55— उत्त	03	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	निर्माण कार्य पूर्ण करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	22.07.2023
56— शि—	04	डॉ0 सरफराज अहमद	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22.07.2023
57 टन—	06	श्री कोचे मुण्डा	सूची में शामिल करना।	पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	22.07.2023
58— उत्त	04	श्री दशरथ गागराई	सृजित पदों पर नियुक्ति।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	22.07.2023
59— शि—	09	श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता	उच्च विद्यालय की स्थापना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.07.2023
60— वन—	07	श्री किशुन कुमार दास	अनापत्ति प्रमाण—पत्र देना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	22.07.2023
61— टन—	05	श्री मथुरा प्रसाद महतो	स्टेडियम का निर्माण।	पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	22.07.2023
62— उ—	03	श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता	बकाया मजदूरी का भुगतान।	उद्योग	25.07.2023

01.		02.	03.	04.	05.	06
63—	शि—	01	श्री विनोद कुमार सिंह	भवन की स्वीकृति देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22.07.2023
64—	वन—	12	श्री रामचन्द्र सिंह	इको पर्यटन में बिकसित करना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	24.07.2023
65—	शि—	02	श्री भानु प्रताप शाही	उच्च विद्यालय का दर्जा देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22.07.2023
66—	टन—	09	श्री अमित कुमार यादव	स्टेडियम का निर्माण।	पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	25.07.2023
67—	उत्त	08	श्री रामदास सोरेन	महाविद्यालय की स्थापना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	24.07.2023
68—	वन—	11	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	बायोडायलर्सिटी पार्क की स्थापना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	24.07.2023
69—	ख—	06	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	लम्बित योजनाओं का पूर्ण कराना।	खान एवं भूतत्व	24.07.2023
70—	टन—	02	श्री राज सिन्हा	योजना बनाना।	पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	22.07.2023
71—	उ—	02	श्री दशरथ गागराई	रिक्त पदों को भरना।	उद्योग	24.07.2023
72—	शि—	06	श्री कोचे मुण्डा	भवन निर्माण कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22.07.2023
73—	उत्त	02	श्री बिरंची नारायण	पढ़ाई प्रारम्भ कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	22.07.2023
74—	ख—	03	श्री ढुलू महतो	अवैध खनन पर रोक।	खान एवं भूतत्व	22.07.2023
75—	शि—	03	श्री अमित कुमार मंडल	स्थानान्तरण करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22.07.2023
76—	उत्त	11	श्री भूषण बड़ा	सरकारी अनुदान देना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	25.07.2023

01.		02.	03.	04.	05.	06
77—	ख—	02	श्री उमाशंकर अकेला	लीज धारकों पर कार्रवाई।	खान एवं भूतत्व	22.07.2023
78—	वन—	06	सुश्री अम्बा प्रसाद	गलियारा बनाना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	22.07.2023

राँची,
दिनांक— 01 अगस्त, 2023 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या— झा0वि0स0 (प्रश्न)—03/20—1985/वि0स0, रांची, दिनांक—27/07/23

प्रतिः— झारखण्ड विधान—सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

27/07/23
(कुन्दन कुमार सिंह)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या— झा0वि0स0 (प्रश्न)—03/20—1985/वि0स0, रांची, दिनांक—27/07/23

प्रतिः— माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सविव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

27/07/23
उप सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या— झा0वि0स0 (प्रश्न)—03/20—1985/वि0स0, रांची, दिनांक—27/07/23

प्रतिः— कार्यवाही शाखा/वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा, प्रश्न ध्यानाकर्षण एवं अनागत प्रश्न समिति शाखा जे0भी0एस0 टी0भी0 शाखा, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

27/07/23
उप सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

सुभाष/

27/07/2023

25

श्री अमित कुमार मंडल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–वन–10 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2023 के ग्रीष्म कालीन माह में दिन व दिन ऑकड़ों के अनुसार गोड्डा जिला का तापमान राज्य के अन्य जिलों की तुलना में कई बार सर्वाधिक रहा है ;	वन विभाग द्वारा तापमान संबंधित ऑकड़ों का संकलन नहीं किया जाता है। विभागीय पत्रांक–2857 दिनांक–27.07.2023 द्वारा India Meteorological Department से तापमान संबंधी आंकडे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि पिछले 10 वर्षो के तापमान ऑकड़ां के अनुसार गोड्डा जिला का तापमान इस वर्ष सर्वाधिक रहा;	वन विभाग द्वारा तापमान संबंधित ऑकड़ों का संकलन नहीं किया जाता है। विभागीय पत्रांक–2857 दिनांक–27.07.2023 द्वारा India Meteorological Department से तापमान संबंधी आंकडे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
3. क्या यह बात सही है कि सरकार ने अब तक खण्ड–01 में वर्णित जिले के घटना क्रम की जाँच व अध्ययन अब तक नही करा पायी है;	वन विभाग द्वारा तापमान संबंधित ऑकड़ों का संकलन नहीं किया जाता है। विभागीय पत्रांक–2857 दिनांक–27.07.2023 द्वारा India Meteorological Department से तापमान संबंधी आंकडे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
4. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मामले का विस्तृत अध्ययन कराते हुए तापमान को कम करने के लिए कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों?	गोड्डा जिले के कुल क्षेत्रफल का 7.3 प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र के अधीन आता है। पर्यावरण सुरक्षा हेतु गोड्डा वन प्रमंडल द्वारा विगत पांच वर्षो में 36,44,134 पौधों का वृक्षारोपण कार्य किया गया है जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र० सं०	वर्ष	लगाये पौधों की संख्या
1	2018	657200
2	2019	205310
3	2020	1439902
4	2021	690822
5	2022	650900
कुल पौधों की संख्या		3644134

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–80/2023–2898 व0प0, दिनांक–31/07/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1814, दिनांक–24.07.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/23

(सुनील कुमार)

सरकार के अवर सचिव

(26)

श्री समीर कुमार मोहन्ती, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–01.08.2023 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–03 का उत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री समीर कुमार मोहन्ती, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि तीरंदाजी के प्रबंल संभावनाओं के बावजूद घाटशिला अनुमण्डल जैसे ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षण का कोई उचित व्यवस्था नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि क्षेत्र में प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण प्रतिभावान खिलाड़ी राज्य या राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले पाते है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकरात्मक है तो क्या सरकार घाटशिला अनुमण्डल क्षेत्र के चाकुलिया में एक तीरंदाजी प्रशिक्षण केन्द्र खोलेने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय अधिसूचना संख्या–04, दिनांक–28.03.2023 (विभाग के नियंत्रणाधीन आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों का अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु मार्गदर्शिका सिद्धान्त) के अनुसार किसी भी स्थान पर आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु सम्बंधित जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला खेल संचालन समिति की अनुशंसा आवश्यक होती है, जो संबंधित क्षेत्र में खेल की लोकप्रियता, खिलाड़ियों की प्रतिभा/अच्छा प्रदर्शन, खेल स्टेडियम/खेल मैदान की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा करती है। घाटशिला अनुमण्डल क्षेत्र के चाकुलिया में तीरंदाजी का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु जिला खेल संचालन समिति का प्रस्ताव/अनुशंसा प्राप्त होने पर आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–82/2023 1113 /

राँची, दिनांक 28/07/23 28 जुलाई 2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1695/वि०स०, दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/07/23

सरकार के संयुक्त सचिव

27

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–10

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कोडरमा में प्रचुर मात्रा में मिलने वाले ढिबरा को लेकर दिनांक–3 मार्च 2022 को सरकार ने संबंधित को–ऑपरेटिव का गठन कर ढिबरा कारोबार को बैध बनाने के सन्दर्भ में अधिसूचना जारी किया था,	स्वीकारात्मक। खान एवं भूतत्व विभाग की गजट अधिसूचना संख्या–86, दिनांक–03.03.2022 द्वारा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2021 के नियम–9(1) (क) के परन्तुक में संशोधन करते हुए झारखण्ड राज्य अन्तर्गत ढिबरा डम्प में पाये जाने वाले अभ्रक खनिज, जिनका व्यावसायिक मूल्य के भंडार/डम्प का निष्पादन झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० के माध्यम से किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त संशोधित नियमावली के परिशिष्ट–I के अनुसार JSMDC ढिबरा से अभ्रक के निष्पादन, प्रसंस्करण एवं अन्य संबंधित कार्यो के लिए संबंधित सहकारी समितियों की सहायता ले सकती है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित प्रश्न खण्ड–1 की घोषणा के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं कोडरमा के पहाड़पुर इलाके में ढिबरा लदे वाहन को हरी झंडी दिखकर जेएसएमडी के चिन्हित डंप के लिये रवाना किया था,	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है 6 इंच तक माइका के टुकड़ा (ढिबरा) चुनने उसे बेचने और भंडारण के लिए सरकार ने मजदूरों और छोटे व्यापरियों के हित में को–ऑपरेटिव के गठन और उसे मजबूत बनाने के तहत अपनी नीति घोषित की थी,	–यथा उपरोक्त–
4	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार नियमावली लागू करने एवं लागू होने तक बैकल्पिक व्यवस्था बनाकर ढिबरा कारोबार को प्रोत्साहित करने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जे०एस०एम०डी०सी० के द्वारा ढिबरा डम्प को चिन्हित कर उसके मानचित्रण (Mapping), भंडारण की मात्रा एवं गुणवत्ता (Volume and Quantity) का आकलन के कार्य हेतु भूतत्व निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग से अनुरोध किया गया है। खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा गठित नीति के अनुरूप जे०एस०एम०डी०सी० द्वारा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2021 के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(तारा0)–93/2023 1306/एम०, राँची, दिनांक:– 30/07/23

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1899 दिनांक–25.07.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/23

सरकार के संयुक्त सचिव

(29)

श्री राजेश कच्छप, मा0स0वि0स द्वारा द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–वन–08 का उत्तर ।

1. क्या यह बात सही है कि राँची जिला के नगड़ी प्रखण्ड, ओरमाँझी प्रखण्ड तथा नामकुम प्रखडांधीन महिलौंग, टाटीसिलवे, तुपुदाना में चावल मिल संचालित हो रही है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित चावल मिल संचालकों द्वारा पर्यावरण मानकों की अनदेखी करते हुए मिल के सड़ी हुई Polluted Water & Resist से आसपास के वातावरण में प्रदूषण इतनी भयानक रूप ले चुकी है, जिससे गंभीर बीमारियाँ फैलने लगी है तथा खूले खेतों में मिल की प्रदूषित पानी एवं अन्य खतरनाक Resist की बहाव से उर्वरक शक्ति क्षीण हो रही है;	अस्वीकारात्मक। राईस मिल से ठोस अपशिष्ट के रूप में पैडी हस्क एवं हस्क ऐश निकालता है। पैडी हस्क का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है तथा कुछ राईस मिलों द्वारा जो हस्क ऐश निकलता है उसे प्लास्टिक बैग में भरकर स्टील प्लांट में भेजा जाता है एवं ग्रामीणों द्वारा खेती में एवं निचले जमीन को भरने में किया जाता है। राईस मिल द्वारा बहिस्राव के उपचार हेतु बहिस्राव उपचार सयंत्र (ई0टी0पी0) एवं वाटर रिसाईक्लींग सिस्टम (डब्लु0आर0एस0) स्थापित किये गये हैं।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–02 में वर्णित विषय पर उच्च स्तरीय जाँच कर कड़ी कार्रवाई करने एवं दोषियों को दंडित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। राईस मिल जिनके द्वारा उपचारित बहिस्राव को बाहर निस्सारित किया जाता है, उन्हें मुख्यालय स्तर से कारण–पृच्छा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाता है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–78/2023–2918 व0प0, दिनांक–31/07/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1680, दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(30)

श्रीमती सुनिता चौधरी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–वन–05 का उत्तर।

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1. क्या यह बात सही है कि राज्य का अधिकत्तर भाग जंगली हाथी के झुण्ड का भ्रमण क्षेत्र में आता है, जिसमें रामगढ़ जिला के गोला, रामगढ़, दुलमी और चितरपुर प्रखण्ड है;</td><td>स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>2. क्या यह बात सही है कि जंगली हाथी के द्वारा जानमाल की क्षति पर 4.50 लाख, घायल होने पर अधिकतम 1 लाख, फसल की क्षति होने पर 80 रू० प्रति डिसमील, घरों की क्षति पर अधिकतम 40000/– रू० का मुआवजा राशि दी जाती है जो पीड़ित पारिवार के लिए पर्याप्त नहीं है;</td><td>अस्वीकारात्मक।
झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का संकल्प संख्या 2265 व०प०, रांची दिनांक–15.06.2023 के अनुसार कई वर्गो में मुआवजा की वृद्धि की गई है, जो इस प्रकार है :–
<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>क्षति का प्रकार</th><th>मुआवजा की दर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>मृत्यु होने पर</td><td>4,00,000/–</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>गंभीर रूप से घायल होने पर</td><td>1,50,000/–</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>साधारण घायल होने पर</td><td>25,000/–</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>स्थायी रूप से अंपग होने पर</td><td>3,25,000/–</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>मकान की क्षति</td><td>1. IAP जिलों के लिए 1.30 लाख प्रति ईकाई</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2. Non IAP जिलों के लिए 1.20 लाख प्रति ईकाई</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>भंडारित अनाज के लिए</td><td>2600/– रू० प्रति क्विंटल अधिकतम 20,000/–</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>फसल क्षति</td><td>रू० 32500/– प्रति हे० (अधिकतम रू० 65000/–)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जंगली हाथी के झुण्ड द्वारा किये गये जानमाल की क्षति पर 10 लाख, घायल होने पर गंभीर घायल को सम्पूर्ण ईलाज का खर्च या 5 लाख रू०, फसल क्षति पर सम्भावित उत्पाद मूल्य के बराबर एवं घर की क्षति पर प्रधानमंत्री आवास योजना से एक आवास देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?</td><td>वन्यप्राणी से जान–माल की क्षति के विरूद्ध मुआवजा की राशि में वृद्धि लगभग डेढ़ माह पूर्व ही सरकार के संकल्प दिनांक–15.06.2023 द्वारा की गयी है। तत्काल में मुआवजा वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–71/2023– 2900 व0प0, दिनांक– 31/07/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1683, दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(313)

डॉ लम्बोदर महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–वन–01 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में बोकारो जिला अन्तर्गत कसमार प्रखण्ड के सेवाती घाटी में झारखण्ड सरकार के वन विभाग का सैकड़ो एकड़ से अधिक वन भूमि झारखण्ड वन सीमाना क्षेत्र में बंगाल सरकार के वन विभाग द्वारा अवैध बोर्ड लगा कर कब्जा कर लिया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विषयगत मामला बंगाल सरकार के पुरूलिया वन प्रमंडल द्वारा बोकारो वन प्रमंडल के मौजा–जुमरा, राजस्व थाना–पेटरवार, थाना नं0–133 के सेवाती घाटी के अंतर्गत प्लॉट संख्या–350, रकबा–35.75 एकड़ पर बंगाल वन क्षेत्र होने के संबंध में लगाये गये बोर्ड से है। कैडस्ट्रल नक्शा के अनुसार पाया गया कि उक्त बोर्ड झारखण्ड के बोकारो वन प्रमंडल के प्लॉट संख्या–350 के सीमांकन से लगभग 75 फीट के अंदर है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सेवाती घाटी में हुए अतिक्रमण/अवैध कब्जा को हटाना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उक्त बोर्ड को लगाये जाने की शिकायत प्राप्त होते ही उक्त स्थल की जाँच करायी गई एवं स्थानीय स्तर पर अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–72/2023–2922 व0प0, दिनांक–31/07/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1687, दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

32

डॉ० लम्बोदर महतो, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–01.08.2023 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–01 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
डॉ० लम्बोदर महतो, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया विधानसभा क्षेत्र के गोमिया प्रखण्ड में छोटकी सीधावारा/स्वांग में नेहरू मैदान/पेटरवार प्रखण्ड+2 उच्च विद्यालय, पेटरवार के हाई स्कूल मैदान एवं कसमार प्रखण्ड के हरनाद हाई स्कूल मैदान में स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके कारण खेलकूद को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। उपायुक्त, बोकारो के प्रतिवेदनानुसार गोमिया प्रखण्ड के स्वांग में नेहरू मैदान/पेटरवार प्रखण्ड में +2 उच्च विद्यालय, पेटरवार के हाई स्कूल मैदान तथा कसमार प्रखण्ड के हरनाद हाई स्कूल मैदान में स्टेडियम निर्माण हेतु डी०पी०आर० तैयार कर ली गई है। साथ ही स्टेडियम निर्माण हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, बोकारो से अनापत्ति प्रमाण–पत्र की मांग की गई है। अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्ति के पश्चात उपायुक्त, बोकारो द्वारा प्रस्ताव विभाग को प्रेषित की जायेगी। उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक– 53/खे०, दिनांक– 09.03.2022 के अनुसार पेटरवार प्रखंड में 10+2 उच्च विद्यालय पेटरवार के मैदान एवं कसमार प्रखण्ड के गांधी मैदान में वीर शहीद पोटो हो खेल योजना के तहत मैदान एवं चेंजिंग रूम का निर्माण कराया जा रहा है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त स्थलों में स्टेडियम निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, बोकारो से स्टेडियम निर्माण से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त बजटीय उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल कार्रवाई किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–80/2023 1122 राँची, दिनांक 30-07-2023

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0– 1697/वि०स०, दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30.07.23

सरकार के संयुक्त सचिव

डॉ इरफान अंसारी, स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–07

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अंतर्गत जामताड़ा प्रखण्ड में बराकर नदी पर बजरा घाट अवस्थित है;</td><td>अस्वीकारात्मक।
वस्तुस्थिति यह है कि जामताड़ा जिला अन्तर्गत जामताड़ा प्रखण्ड में बराकर नदी पर बजरा घाट अवस्थित नहीं है, अपितु बराकर नदी पर अवस्थित बजरा घाट धनबाद जिलान्तर्गत पड़ता है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि बालू माफियाओं के द्वारा अवैध खनन कर इस घाट से करोड़ों रूपए के ब्रालू की तस्करी गैर कानूनी तरीके से की जाती है, जिसके कारण राज्य को भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है;</td><td>खान एवं भूतत्व विभाग के संकल्प संख्या–563, दिनांक–05.10.2005 द्वारा जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स गठित है।
जामताड़ा जिलान्तर्गत टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा बालू खनिज के अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण के विरूद्व निरंतर कार्रवाई की जाती है।
जामताड़ा जिलान्तर्गत विगत तीन वर्षो में बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्व की गयी कार्रवाई की विवरणी निम्न प्रकार है :–
<table><tr><th>क्र०</th><th>वर्ष</th><th>प्राथमिकी दर्ज की संख्या</th><th>जप्त वाहनों की संख्या</th><th>वसूल की गई राशि (रूपये में)</th></tr><tr><td>1</td><td>2020–21</td><td>19</td><td>121</td><td>290390</td></tr><tr><td>2</td><td>2021–22</td><td>15</td><td>64</td><td>476500</td></tr><tr><td>3</td><td>2022–23</td><td>12</td><td>68</td><td>30000</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन भू माफियाओं के विरूद्व आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने एवं इस अवैध खनन को तत्काल प्रभाव से रोकने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>यथा उपरोक्त कंडिका–2</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि०स०(तारा0)–94 / 2023 1302 /एम०, राँची, दिनांकः– 30/07/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1901 दिनांक–25.07.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

(34)

श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–वन–03 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर सामग्री
1. क्या यह बात सही है कि विगत कुछ माह से घाटशिला अनुमंडल के पूर्वी क्षेत्रों में जंगली हाथियों का प्रकोप से दहशत का माहौल बना हुआ है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि बहरागोड़ा विधान सभा क्षेत्र में विगत दो माह में हाथियों द्वारा 7 व्यक्तियों की जान ली गई है तथा 33 लोगों को जख्मी कर दिया गया है;	वित्तीय वर्ष 2023–24 में बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में हाथियों द्वारा 6 व्यक्तियों की जान ली गई है तथा 4 व्यक्ति घायल हुए है।
3. क्या यह बात सही है कि हाथी के इस भयाबहता के बावजूद सरकार द्वारा अभीतक कोई ठोस निराकरण का उपाय नहीं निकाला गया है;	हाथी स्वभाव से एक अति भ्रमणशील प्राणी है तथा झारखण्ड में निकटवर्ती उड़ीसा, बंगाल एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से इसका आवागमन बना रहता है। विगत वर्षों में हाथियों के वास–स्थान में संकुचन एवं विखंडन तथा इनके प्राकृतिक विचरण पथ (कॉरिडोर) में खनन, नहर, उच्च पथों के चौड़ीकरण, रेलवे लाइन के दोहरीकरण आदि कार्यों से बाधा उत्पन्न होने के कारण मानव–हाथी द्वंद्व की घटनाओं पर पूर्णतः रोक लगाना यद्यिप कठिन है तथापि बहरागोड़ा विधान सभा क्षेत्र जो जमशेदपुर वन प्रमंडल के अन्तर्गत आता है, में – 1) वर्त्तमान में 2(दो) की संख्या में त्वरित कार्य दल (QRT) कार्यरत है एवं इसके अलावे 2(दो) और त्वरित कार्य दल (QRT) के गठन का कार्य प्रक्रिया में है। 2) संवेदनशील ग्रामों में मशाल, टॉर्च एवं पटाखों का वितरण किया जा रहा है। साथ ही जानकारी साझा करने के लिए ग्रामीणों एवं स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए मोबाईल पर एक व्हाट्सअप ग्रुप (Whatsapp Group) का गठन किया गया है। 3) हाथियों को रिहायशी इलाकों से दूर भगाने के लिए स्थानीय युवाओं का दल बनाकर कार्यवाही की जाती है। 4) एफ०एम० रेडियों के माध्यम से जंगली हाथियों से सावधान करना। 5) वन भूखंडों के बीच पड़ने वाले रैयती/जी०एम० भूमि में वनरोपण द्वारा गलियारा का विकास करना साथ ही वन क्षेत्रों में जल स्त्रोतों का पुनरूद्धार करना। 6) संवेदनशील स्थानों पर अवस्थित अन्डरपास (Underpass) के संबंध में स्थानीय रेलवे से समन्वय करना एवं आगे की कार्रवाई हेतु संबंधित सूचना रेलवे को भेजना। 7) वेब आधारित सूचना तंत्र के विकास का कार्य प्रगति पर है।
4. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार क्षेत्र की जनता की जान–माल की रक्षा हेतु सुनियोजित परिकल्पना के तहत् कोई ठोस निराकरण के उपाय करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों?	सरकार हाथियों से जान–माल की क्षति को लेकर संवेदनशील है तथा इस समस्या के निराकरण हेतु निम्न उपाय किए जा रहे हैं; **क)** हाथियों के प्राकृतिक कॉरिडोर में पड़ने वाले वन भूखंडों के बीच आने वाली रैयती/गैर–मजरूआ भूमि पर ग्रामीणों की सहमति से वृक्षारोपण तथा वन भूमि पर प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार की योजना प्रारंभ की गई है। **ख)** सिंहभूम के अंतर्गत हाथियों से हो रहे नुक़सान के रोकथाम हेतु क्रमशः जमशेदपुर एवं चाईबासा में कुल दो QRT गठित है तथा इसके अतिरिक्त दो और QRT का गठन प्रक्रियाधीन है।

	ग) हाथियों के दृष्टि से संवेदनशील ग्रामों में मशाल, टॉर्च एवं पटाखों का वितरण किया जाता है। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को रोज़गार प्रदान करते हुए उनकी मदद से हाथियों को रिहायशी इलाकों से दूर किया जाता है। इसके अलावा स्थानीय तौर पर व्हाट्सअप ग्रुपों का गठन किया गया है जिसमें स्थानीय ग्रामीणों के साथ–साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। उन ग्रुपों के माध्यम से समय समय पर हाथियों के आवागमन की सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। घ) जगह जगह पर हाथी–रोधी यंत्रों यथा एनाइडर्स का अधिष्ठापन किया जा रहा है। च) बंगाल एवं उड़ीसा के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक करने के उपरांत हाथियों के आवागमन पर सूचना के आदान–प्रदान पर सहमति बनी है। छ) रेलवे के साथ समन्वय स्थापित करते हुए संवेदनशील स्थानों पर अंडरपास बनाने हेतु स्थल चिन्हित कर लिया गया है एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु सूची रेलवे को प्रेषित कर दी गई है। ज) राज्य में एफ़. एम. रेडियो के माध्यम से प्रचार–प्रसार के अलावा समय–समय हाथियों के आवागमन पर अलर्ट जारी करने की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त वेब आधारित सूचना तंत्र विकसित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–74/2023– 2915 व0प0, दिनांक–31/07/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1685, दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

35

श्री केदार हाजरा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–07 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत जमुआ विधान सभा क्षेत्र के देवरी प्रखण्ड के देव पहाड़ी मठ को सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र के बी श्रेणी में रखा गया है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड(1) में निहित प्रश्न पर अब तक सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का पर्यटकीय विकास कार्य की स्वीकृति नहीं दी गई है जिसके कारण यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है,	2.	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार देव पहाड़ी मठ को चिन्हित बी श्रेणी के अनुरूप विकसित करने पर विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	उपायुक्त, गिरिडीह से उक्त स्थल पर पर्यटकीय विकास कार्य हेतु ₹ 1,99,95,800.00 का प्राक्कलन प्राप्त हुआ है जिसमें गेस्ट हाऊस, सिंह द्वार व मंदिर जीर्णोद्धार का कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यों की उपयोगिता के संदर्भ में आश्वस्त होने के लिए विभागीय पदाधिकारी द्वारा स्थल भ्रमण करना प्रस्तावित है। स्थल भ्रमण में उपयुक्त पाये जाने पर कार्यों की स्वीकृति पर बजट उपलब्धता के आधार पर कार्रवाई किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/86/2023....1407....../राँची, दिनांक....28.07.2023....

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1691/वि०स०, दिनांक–22/07/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/07/23

सरकार के संयुक्त सचिव

(36)

2151
29/07/2023

श्रीमती सुनीता चौधरी, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि०–05

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ इण्टर महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इण्टर महाविद्यालय है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ इण्टर महिला महाविद्यालय, रामगढ़ के दानदाता सदस्य, शिक्षा विद एवं शिक्षक प्रतिनिधि का चयन नहीं होने से शासी निकाय का गठन विगत 4 वर्षो से बिना शासी निकाय के अनुमोदन के राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त अनुदान का वितरण किया गया है, जो वित्तीय अनियमितता है;	वस्तुस्थिति यह है कि महाविद्यालय के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची के पत्रांक *JAC/103/23* दिनांक 06.01.2023 एवं पत्रांक *JAC/1390/23* दिनांक 05.04.2023 के द्वारा पाँच सदस्यीय शासी निकाय का पुनर्गठन किया गया है, यद्यपि महाविद्यालय द्वारा दानदाता सदस्य, शिक्षक प्रतिनिधि, शिक्षाविद्, अध्यक्ष एवं सचिव का चयन कर उनके अनुमोदन हेतु प्रस्ताव झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची को उपलब्ध नहीं कराया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ इण्टर महिला महाविद्यालय के अधिकत्तर शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा अध्यापन कार्य करते हुए नियमित बी.एड. की डिग्री प्राप्त की गई है तथा मानदेय प्राप्त कर वित्तीय अनियमितता की गई है;	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान के वितरण का दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का है। अध्यापन अवधि में बी.एड. की डिग्री तथा मानदेय प्राप्त करने संबंधी शिकायत की जांच हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक 1099 दिनांक 15.07.2023 द्वारा 02 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रामगढ़ इण्टर महिला महाविद्यालय के शासी निकाय के गठन कर तथा वित्तीय अनियमितता करने वाले शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं प्राचार्य पर कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त कंडिका–2 एवं 3 में सन्निहित है।

29/07/2023
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–167 / 2023 2151 राँची, दिनांक 29/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/2023
सरकार के अवर सचिव।

(37)

डॉ0 इरफान अंसारी, स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 01.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–10 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सिदो–कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत जामताड़ा महाविद्यालय, जामताड़ा एक अंगीभूत एवं संचालित महाविद्यालय है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इस महाविद्यालय में बी.कॉम (स्नातक स्तर) एवं स्नातकोत्तर स्तर (विभिन्न संकाय) की पढ़ाई नहीं होती है, जिसके फलस्वरूप जामताड़ा जैसे अनु.ज.जा. बाहुल्य जिला से यहां के युवक–युवतियों को उक्त शिक्षा के लिए अन्यत्र जाने के कारण संबंधित अभिभावकों को आर्थिक कठिनाई एवं छात्र–छात्राओं को घोर असुविधा का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जामताड़ा महाविद्यालय, जामताड़ा में बी.कॉम (स्नातक स्तर) एवं स्नातकोत्तर स्तर (पी0जी0 विभिन्न संकाय) की पढ़ाई प्रारंभ करने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जामताड़ा महाविद्यालय, जामताड़ा के नवनिर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु Primary Project Report (PPR) तैयार करने हेतु JSBCCL, Ranchi को निदेश दिया गया है। विभाग द्वारा Infrastructure Gap को दूर करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में सभी विश्वविद्यालयों एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में सृजित पदों का Restructuring एवं Rationalization की कार्रवाई की जा रही है। Restructuring के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप विभिन्न पाठ्यक्रमों की पढ़ाई शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। जिसमें B.Com भी शामिल है। साथ ही स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के आलोक में FYUGP (four year undergraduate programme) के तहत चार वर्षीय होगा, जिसमें अंतिम वर्ष Research पर आधारित होगा।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01 / वि0स0–88 / 2023 1631 / रॉची, दिनांक 31/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–1907 दिनांक–25.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

(38)

श्री कमलेश कुमार सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–01

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश के आलोक में बालू घाटों से वर्षा ऋतु अवधि में 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर पूर्णतः प्रतिबंध रहता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। माननीय NGT द्वारा वाद O.A. No.120/2016/EZ में पारित आदेश दिनांक–17.08.2016 तथा Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 के अनुपालन में मानसून अवधि (10 जून–15 अक्टूबर) में बालूघाटों से बालू के उत्खनन एवं उठाव पर रोक रहता है। मानसून अवधि में बालू का क्रय/आपूर्ति बालू भंडारण स्थलों (Stock Yards) से किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित प्रतिबंध के पूर्व भी पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल सहित सम्पूर्ण जिले में बालू घाटों से बालू का उठाव नहीं किया जा रहा था तथा ना ही हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र में एक भी अनुज्ञप्ति प्रदत्त बालू भंडारण स्थल है;	वस्तुस्थिति यह है कि पलामू जिला के हुसैनाबाद अनुमंडल अंर्तगत पूर्व में श्रेणी–1 के कुल–06 बालूघाट चिन्हित थे। पलामू जिले के नये जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में हुसैनाबाद अनुमंडल में कुल–08 बालूघाट चिन्हित किया गया है। उपायुक्त, पलामू के आदेश ज्ञापांक–1686/एम०, दिनांक–03.11.2018 एवं ज्ञापांक– 1205/एम०, दिनांक–05.06.2023 द्वारा Category-I बालूघाटों के संचालन ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वायत शासन के माध्यम से करने हेतु दिशा–निर्देश दिये गये है। वर्तमान में हुसैनाबाद अनुमंडल अंतर्गत श्रेणी–2 के बालूघाट एवं बालू खनिज का अनुज्ञप्ति (Stock Yards) संचालित नही है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित तथ्यों के कारण हसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र में बालू का घोर किल्लत व्याप्त है, परिणाम स्वरूप सरकारी विकास कार्यों तथा निजी कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, वही बालू की कालाबाजारी चरम पर है;	यथा–उपरोक्त।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पलामू जिला के हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र में बालू की सुगम उपलब्धता हेतु व्यवस्था करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 के अनुसार पलामू जिले के बालू खनिज का District Survey Report (DSR) में हुसैनाबाद अनुमंडल अंतर्गत Category-II के कुल–04 बालूघाटों को सम्मिलित किया गया है तथा चिन्हित बालूघाटों पर MDO चयन के लिए वित्तीय निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(तारा0)–88/2023 1305 /एम०, राँची, दिनांक:– 30/07/23

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1690 दिनांक–22.07.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/23

सरकार के संयुक्त सचिव

(40)

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–01

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हुसैनाबाद–हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र में एक भी कल कारखाना एवं उद्योग का निर्माण नहीं होने के कारण यहाँ के नौजवानों को बेरोजगारी के कारण बड़ी संख्या में पलायन को मजबूर होना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि हुसैनाबाद–हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र में निर्माण उद्योग की स्थापना हेतु बंद पड़े जपला सीमेंट फैक्ट्री की भूमि उपलब्ध है, जो किसी भी निर्माण उद्योग की स्थापना हेतु प्रर्याप्त है;	आंशिक स्वीकारात्मक
3	यदि उपरोक्त उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हुसैनाबाद–हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु स्थापित करने का विचार रखती है, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सर्वश्री सोनवैली सिमेंट जपला में स्थित लीज होल्ड भूमि रकवा–137.99 बीघा, जो Liquidation हेतु विचाराधीन है, राज्य सरकार द्वारा उक्त संदर्भित भूमि को झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा प्राप्त कर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। संदर्भित भूमि हस्तांतरण हेतु निर्धारित देय मूल्य एवं शर्त उपलब्ध कराने के लिए Official Liquidator से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की मांग की गयी थी, जो अबतक अप्राप्त है। इस संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01 / विधानसभा–03–37 / 23 962 / राँची, दिनांक:– 31/07/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1710 दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/23

सरकार के अवर सचिव

श्रीमति पूर्णिमा नीरज सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत्त0–07 से संबंधित उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दिनांक 06.11.2012 को कुलपति, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के द्वारा पदोन्नति समिति के बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में इसके अंगीभूत महाविद्यालय पी0के0 राय मेमोरियल कॉलेज, धनबाद में विगत 10/25 वर्षों से तृतीय व चतुर्थ वर्ग के पद पर कार्यरत 35 कर्मियों को पदोन्नति दिया गया था ;	स्वीकारात्मक। पी0के0 राय मेमोरियल कॉलेज, धनबाद में विगत 10/25 वर्षों से तृतीय व चतुर्थ वर्ग के पद पर कार्यरत 32 कर्मियों का प्रोन्नति दिया गया था।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित निर्णय के आलोक में श्री अरविंद कुमार सिंह सहित सूचिबद्ध अन्य कर्मियों का सेवानिवृत्ति पश्चात् आज तक पद संशोधन, कालबद्ध पदोन्नति का लाभ बकाया राशि का भूगतान तथा बढ़े हुए पेंशन का लाभ से वंचित रखा गया है ;	आंशिक अस्वीकारात्मक। निदेशालीय पत्रांक–1617, दिनांक 28.07.2023 के द्वारा कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ प्रदान करते हुए वेतन निर्धारण कर दिया गया है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के द्वारा बकाया राशि के भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित निर्णय के आलोक में सूचीबद्ध सभी महाविद्यालय कर्मियों को पदोन्नति का लाभ एक समान पेंशन सहित बकाया राशि का भुगतान शीघ्र करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–01 एवं 02 में निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01/वि0स0–81/2023 1640 / रॉची, दिनांक 31/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉची को उनके ज्ञाप–1821, दिनांक–24.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

(42)

2158
30/07/2023

श्री रामदास सोरेन, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–07		
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत घाटशिला प्रखण्ड स्थित महुलिया उच्च विद्यालय, महुलिया गालूडीह में +2 स्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने की योजना प्रस्तावित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 1471 दिनांक 15.09.2020 द्वारा राज्यान्तर्गत सरकारी +2 उच्च विद्यालयों की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण कराकर विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित है। इस आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक 804 दिनांक 06.08.2022 के माध्यम से महुलिया उच्च विद्यालय, महुलिया, गालूडीह, घाटशिला सहित 23 उच्च विद्यालय के उत्क्रमण का प्रस्ताव प्राप्त है। प्राप्त प्रस्ताव के साथ–साथ अन्य जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर +2 विद्यालयों में निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्क्रमण की अनुशंसा करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आवश्यक निर्णय की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित विद्यालय में उक्त पढ़ाई नहीं होने के कारण उक्त प्रखण्ड के छात्रों को सुदूरवर्ती विद्यालयों पर निर्भर होना पड़ रहा है, जिसके कारण उक्त छात्रों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है;	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त खण्ड में सन्निहित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित विद्यालय में +2 स्तर की पढ़ाई शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त खण्ड में सन्निहित है।

30/07/2023
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–175/2023 2158 राँची, दिनांक 30/07/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/07/2023
सरकार के अवर सचिव।

(43)

डॉ0 नीरा यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–वन–02 का उत्तर।

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1. क्या यह बात सही है कि कोडरमा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डोमचाँच प्रखण्ड अंतर्गत अधिकांशतः भू–भाग वन आच्छादित एवं कृषि प्रधानता वाले क्षेत्र है, जहाँ हजारों किसानों की अजीविका कृषि पर निर्भरता है;</td><td>स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित क्षेत्र में नकदी, खरीफ व रबी फसल उपजाई जाती है तथा इस वन आच्छादित क्षेत्र में नीलगाय के उपद्रव के कारण सैंकड़ों एकड़ में लगे फसल नष्ट हो जा रहे है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
डोमचाँच प्रखण्ड में विगत पाँच वर्षों में नीलगाय से क्षति की विवरणी निम्नवत् है :
<table>
<tr><th>वित्तीय वर्ष</th><th>प्राप्त आवेदन</th><th>फसल क्षति (एकड़ में)</th><th>मुआवजा भुगतान की राशि (रू० में)</th></tr>
<tr><td>2019–20</td><td>11</td><td>1.99</td><td>15920.00</td></tr>
<tr><td>2020–21</td><td>02</td><td>0.30</td><td>2400.00</td></tr>
<tr><td>2021–22</td><td>03</td><td>0.75</td><td>6000.00</td></tr>
<tr><td>2022–23</td><td>03</td><td>0.70</td><td>5600.00</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>19</td><td>3.74</td><td>29920.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित क्षेत्रों में नीलगाय से होने वाले बर्बादी से बचाने तथा जानवरों की सुरक्षा हेतु उन क्षेत्रों में घेराबंदी करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?</td><td>वर्तमान में फसल की क्षति से बचाव हेतु घेराबंदी की कोई योजना नहीं है। परन्तु नीलगाय से हुई फसल क्षति का भुगतान झारखण्ड सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर किया जाता है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–73/2023–2914 व0प0, दिनांक–31/07/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1686, दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(44)

डॉ० नीरा यादव, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–01.08.2023 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–04 का उत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
डॉ० नीरा यादव, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कोडरमा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखण्ड क्रमशः डोमचाँच एवं सतगाँवा में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम का निर्माण नहीं होने के कारण स्थानीय युवाओं को उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने में कठिनाईयाँ हो रही है;	अस्वीकरात्मक। कोडरमा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डोमचॉच एवं सतगॉवा में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु विभागीय मॉडल प्राक्कलन के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2008–09 में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण राशि उपायुक्त, कोडरमा को आवंटित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–(1) में वर्णित प्रखण्ड डोमचॉच में प्रखण्ड मुख्यालय के बगल में तथा सतगॉवा के ग्राम–राजावर में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण की माँग स्थानीय युवाओं द्वारा बिगत 05 वर्षो से की जाती रही है;	मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 608 दिनांक 20.04.2012 द्वारा राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक–एक स्टेडियम निर्माण हेतु निर्णय है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित क्षेत्रों में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम का अविलम्ब निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–1415, दिनांक–28.07.2023 के द्वारा कोडरमा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मरकच्चो, चंदवारा, डोमचॉच एवं सतगॉवा प्रखण्ड में विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर आवंटित राशि के आलोक में निर्माण कार्य की भौतिक सत्यापन करते हुए वांछित प्रतिवेदन (सम्पूर्ण तथ्यों एवं अभिलेखों सहित) की मांग उपायुक्त, कोडरमा से की गई है। उपायुक्त, कोडरमा से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुकूल अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–83/2023 1428/ राँची, दिनांक 31.07.2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1694/वि०स०, दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/7/23

सरकार के संयुक्त सचिव

(45)

श्री संजीव सरदार, स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–08

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम के प्रखण्ड पोटका के मौजा–छोटा हड़ियान में अवैध खनन एवं ब्लास्टिंग की जा रही है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल पर अवैध खनन एवं ब्लास्टिंग से आम ग्रामीणों को बराबर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखण्डअन्तर्गत मौजा–छोटा हड़ियान में हो रहे अवैध खनन को रोकते हुए विधिसम्मत कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत वर्त्तमान में प्रखण्ड पोटका के मौजा–छोटा हड़ियान में Jharkhand Minor Mineral (Auction) Rules, 2017 के तहत ई–नीलामी द्वारा (02) दो पत्थर खनिज ब्लॉक यथा– (1) Chhota Hariyan-A Stone Block, Area-2.35 Acres एवं (2) Chhota Hariyan Stone Block, Area-3.12 Acres के लिए दो संस्थानों को Successful Bidder घोषित कर खनन पट्टा के निष्पादन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। वर्त्तमान में खनन कार्य पूर्णतः बन्द है।

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि०स०(तारा0)–95 / 2023 1304 / एम०, राँची, दिनांकः– 30/07/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1902 दिनांक–25.07.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/23

सरकार के संयुक्त सचिव

47

2148
29/07/2023

श्री नलिन सोरेन, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–08

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का शिकारीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदूरी है;	वस्तुस्थिति यह है कि प्रस्तुत प्रश्न/विषय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से संबंधित नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड काठीकुण्ड के पंचायत–कालाझर, ग्राम–दलदली अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, दलदली में अवस्थित है, जिस विद्यालय में 380 छात्र/छात्राएँ अध्ययनरत् हैं;	स्वीकारात्मक। वर्त्तमान शैक्षणिक वर्ष में छात्र–छात्राओं के नामांकन की प्रक्रिया जारी है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में मात्र 4 (चार) कमरे हैं तथा सभी कमरे जीर्णशीर्ण है व विद्यालय चहारदीवारी विहीन हैं तथा उक्त विद्यालय पथ के किनारे होने के कारण दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विद्यालय में 04 (चार) कमरे सही अवस्था में हैं। चहारदीवारी नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मानदंड के अनुरूप उच्च विद्यालय का भवन छात्र–छात्राओं के लिए शौचालय, चहारदीवारी आदि का स्वीकृति देते हुए निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विद्यालय में दो शौचालय उपलब्ध हैं। भवन एवं चहारदीवारी के निर्माण हेतु झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची को संबंधित जिले द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

29/07/2023
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–180/2023.....2148..... राँची, दिनांक 29/07/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/2023
सरकार के अवर सचिव।

(48)

श्री केदार हाजरा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत्त0–06 से संबंधित उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत जमुआ विधान सभा क्षेत्र में एक सरकारी डिग्री कॉलेज की स्वीकृति दी गई है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत जमुआ विधान सभा क्षेत्र एवं गाण्डेय विधान सभा में डिग्री कॉलेज का भवन तैयार किया जा रहा है तथा सरकार एवं सरकारी कर्मी के भेदभाव पूर्ण रवैया के कारण जमुआ विधान सभा के डिग्री कॉलेज का भवन की स्वीकृति अभी तक नहीं दी गई है ;	अस्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि जमुआ विधान सभा क्षेत्र में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है जिसके कारण गरीब छात्र–छात्रा उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। जमुआ विधान सभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय, जमुआ के स्थापना हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान किया गया है, जिसके आलोक में निर्माण कार्य हेतु कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही गिरिडीह जिला अन्तर्गत गिरिडीह महाविद्यालय, गिरिडीह, आर्दश कॉलेज राजधनवार, गिरिडीह एवं आर0के0 महिला कॉलेज गिरिडीह (अंगीभूत महाविद्यालय) संचालित है। इसके अतिरिक्त गिरिडीह जिला अन्तर्गत लंगटा बाबा महाविद्यालय मिर्जागंज, गिरिडीह, संध्या सहयोग महाविद्यालय, बिरनी, डी0ए0भी0 संख्या महाविद्यालय, गिरिडीह, के0के0 वर्मा संध्या महाविद्यालय, गिरिडीह एवं संस्कृत हिन्दी विद्यापीठ झारखण्डधाम, गिरिडीह संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय संचालित है। जिसमें गरीब छात्र–छात्रा उच्च शिक्षा प्राप्त करते है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर न्यायोचित कार्रवाई करते हुए सरकार द्वारा स्वीकृत जमुआ विधान सभा के डिग्री कॉलेज के भवन का निर्माण अविलंब कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्रांक– 321/बजट, दिनांक 07.02.2023 के द्वारा डिग्री महाविद्यालय जमुआ, गिरिडीह के निर्माण हेतु Site Specific DPR तैयार करने हेतु झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को पत्र प्रेषित किया गया है। झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक–1784, दिनांक 27.07.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त डिग्री महाविद्यालय जमुआ हेतु परामर्शी द्वारा भूमि का Soil Test कर लिया गया है एवं Site Specific DPR तैयार किया गया है। जिसपर विश्वविद्यालय से NOC प्राप्त करते हुए जाँचोपरांत प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी।

कृ0पृ0उ0

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01 / वि0स0–80 / 2023 1637 / रॉची, दिनांक 31/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉची को उनके ज्ञाप–1704, दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

(50)

श्री अमित कुमार यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत्त0–09 से संबंधित उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत बरकट्ठा प्रखण्ड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज का भवन बनकर गत् 01 वर्ष से तैयार है, जहाँ अबतक पठन–पाठन का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित एवं छात्र हित में उक्त महाविद्यालय में पठन–पाठन का कार्य प्रारंभ कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	डिग्री महाविद्यालय बरकट्ठा के लिए कुल 29 पदों का सृजन विभागीय संकल्प संख्या–1612, दिनांक 07.10.2022 द्वारा किया गया है। उक्त महाविद्यालय के भवन का हस्तान्तरण के लिए JSBCCL के पत्रांक–54(नि0)ह0 दिनांक 27.02.2023 को पत्र समर्पित किया है। इस हेतु विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग द्वारा भवन का हस्तांतरण के लिए विश्वविद्यालय के पत्रांक–VBU/CCDC/R/1461/ 2023 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। विश्वविद्यालय को भवन हस्तगत होने के पश्चात् आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01 / वि0स0–87 / 2023 1633 / रॉची, दिनांक 31/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉची को उनके ज्ञाप–1909, दिनांक–25.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

(51)

श्री उमाशंकर अकेला, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–वन–04 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर सामग्री
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत बरही प्रखण्ड में कोनरा बरही पूर्व बाईपास के उत्तर में वन विभाग के खाता संख्या–78, प्लॉट सं0–1563 के अनुसार ये वन विभाग की जमीन है तथा इसमें वन विभाग का क्वार्टर भी बना हुआ है;	स्वीकारात्मक। हजारीबाग जिला अन्तर्गत बरही प्रखण्ड में मौजा कोनरा थाना बरही थाना सं0–72 प्लॉट संख्या–1563 सरकार द्वारा अधिसूचित वन भूमि का प्लॉट है, जिसका अधिसूचना संख्या–C/PF-10160/52-21R दिनांक–02.01.1953 है।
2. क्या यह बात सही है कि इसी खाता संख्या–75, प्लॉट सं0–1563 में श्री किशुन यादव एवं राजू यादव पिता श्री रेवल यादव, ग्राम बेलादोहर थाना बरही के निवासी के द्वारा लगभग 1 एकड़ जमीन पर अवैध तरिके से अतिक्रमण कर मकान एवं गैरज बना लिया गया है;	सत्य है कि मौजा कोनरा थाना बरही थाना सं0–72 प्लॉट सं0–1563 अधिसूचित वन भूमि पर अभियुक्त किशुन यादव एवं राजु यादव पिता रेवल यादव ग्राम बेलादोहर थाना बरही के साथ–साथ अन्य अभियुक्त ईस्माईल मियां एवं वंशी यादव द्वारा मकान, गैरेज बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है। जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय में वन वाद कम्प्लेन केस सं0–368/2020 एवं 484/2019 दर्ज करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराये जाने हेतु बी0पी0एल0ई0 एक्ट, 1956 के तहत बी0पी0एल0ई0 वाद संख्या क्रमशः 18/2021 एवं 12/2019 प्रारंभ कर सुनवाई करते हुए दिनांक–22.06.2023 को अन्तिम आदेश पारित किया गया है। आदेश की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक–3468 दिनांक–24.06.2023 एवं 3667 दिनांक–24.06.2023 द्वारा अतिक्रमणकारियों को भेजते हुए उन्हें अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार प्रमंडल की ओर से अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की गई है।
3. क्या यह बात सही है कि जो गरीब भूमिहीन जिनके पास एक घुर जमीन नहीं है वह रहने के लिए जंगल में अतिक्रमण कर अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी ही बनाते है, तो वन विभाग अविलंब उसे ध्वस्त कर देता है, परन्तु इन दोनो दबंग व्यक्तियों द्वारा वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण मकान एवं गैरेज बना लिया गया है, जो कि वन विभाग के संलिप्तता को भी दर्शाता है, क्योंकि अभी तक इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है,	जहॉ कहीं भी वन भूमि अतिक्रमण की सूचना विभाग को प्राप्त होती है, उसी समय अतिक्रमणकारियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन अवैध अतिक्रमणकारियों किसुन यादव एवं राजू यादव, पिता–रेवल यादव पर कानूनी कार्रवाई करते हुए मकान तथा गैरेज को तोड़कर अतिक्रमण मुक्त करना चाहती है, हॉं तो कब तक, नही तो क्यों?	अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध नियमानुसार विमुक्ति की कार्रवाई करते हुए अतिक्रमित वनभूमि को मुक्त करने का आदेश पारित कर दिया गया है। आदेश की प्रति अतिक्रमणकारियों को भेजते हुए वनभूमि अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया गया है। अतिक्रमित वनभूमि को शीघ्र मुक्त करा लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–75/2023– 2901 व0प0, दिनांक–31/07/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रॉंची को उनके ज्ञाप सं0–1684, दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रॉंची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

52

श्री सुदिव्य कुमार, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–08 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है की गिरिडीह शहर के पूर्व दिशा में 14 कि०मी० की दूरी पर उसरी झरना स्थित है, जो उसरी नदी का उदगम स्थल है, जहाँ तीन धाराओं में पानी नीचे गिरता है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि पर्यटक प्रतिवर्ष उसरी झरने के पास पिकनिक मनाने के साथ–साथ पारसनाथ पहाड़ी का मनोरम दृश्य देखने आते है,	2.	स्वीकारात्मक
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर पर्यटकीय सुविधा बहाल कर पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	विभागीय पत्रांक 1062, दिनांक 07.06.2023 द्वारा उसरी जलप्रपात के इको पर्यटन विकास हेतु उपायुक्त, गिरिडीह को संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी से प्रस्ताव व प्राक्कलन प्राप्त करते हुए विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने पर उसरी जलप्रपात के इको पर्यटन विकास की स्वीकृति तत्समय बजट उपलबधता पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/88/2023....1408........../राँची, दिनांक....28.07.2023............

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1903/वि०स०, दिनांक–25/07/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/07/23

सरकार के संयुक्त सचिव

(53)

श्री विकास कुमार मुंडा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत्त0–01 से संबंधित उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि, हर वर्ष दो बार NET-JRF की परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होती है;	स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि, उक्त परीक्षाओं में पास होने के बावजूद महाविद्यालयों में सभी विषयों की रिक्तता ना होने के कारण बच्चों को सिट नहीं मिल पाती है उन्हें NET-JRF में सफल होने का लाभ नहीं मिल पाता ;	आंशिक स्वीकारात्मक। NET-JRF उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राएं सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता रखते है। विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय को 01 यूनिट मानकर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। रोस्टर क्लियरेंस के उपरांत विश्वविद्यालयों द्वारा सहायक प्राध्यापकों के नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रॉंची को शीघ्र भेजी जायेगी।
03	क्या यह बात सही है कि, जिस महाविद्यालय में सिट रिक्त है वहाँ भी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता ना होने के कारण अनियमितता बरती जाती है ;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाती है।
04	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का इरादा रखती है की झारखण्ड में NET-JRF पास अभ्यर्थियों हेतु पर्याप्त सिट को सुनिश्चित करे जिसमें विशेष ध्यान झारखण्ड की क्षेत्रीय भाषाओं को दिया जाए और जिस महाविद्यालय में सिट रिक्त है वहाँ भी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता हो और महत्वपूर्ण जानकारी जैसे :– वर्त्तमान में किस विषय में कितने रिक्त स्थान है इत्यादि की जानकारी वेबसाइट में उपलब्ध कराने की विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–492 दिनांक–24.02.2023 के द्वारा संसूचित यू0जी0सी0 रेगुलेशन–2018 में NET-JRF पास अभ्यर्थियों को सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आहूत साक्षात्कार में अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान किया गया है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 01/वि0स0–76/2023 1629 / रॉंची, दिनांक : 31/07/2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप–1709, दिनांक 22.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव

(54)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–05

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कोल कम्पनियों द्वारा नीलाम की जाने वाले e-acution के माध्यम से D.O धारकों का उपलब्ध कराई जाती है;	स्वीकारात्मक। कोयला कम्पनियों द्वारा कोयला खनिज की बिक्री विभिन्न माध्यमों से की जाती है, जिसमें D.O. धारकों को e-acution द्वारा कोयला खनिज की बिक्री भी सम्मिलित है।
2	क्या यह बात सही है कि e-acution से प्राप्त कोयले का उठाव D.O धारकों के करने के लिए जिला खनन पदाधिकारी द्वारा परमिट निर्गत किया जाता है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि कोल कम्पनियों द्वारा खनिज के उठाव के लिये JIMMS Portal के माध्यम से जिला खनन पदाधिकारी को परमिट हेतु आवेदन समर्पित किया जाता है। Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining , Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियम 09 (ii) के तहत उक्त आवेदन का 15 दिनों के अन्दर निपटारा किया जाना है। उक्त नियमावली के नियम 10 (ii) (b) के तहत समर्पित आवेदन को खान निरीक्षक को जाँच हेतु भेजा जाता है। जाँचोपरान्त 07 दिनों के अन्दर खान निरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के उपरान्त जिला खनन पदाधिकारी द्वारा परमिट निर्गत किया जाता है। इस परमिट निर्गत करने की आवेदन प्रक्रिया में D.O. धारकों की कोई भूमिका नहीं होती है।
3	क्या यह बात सही है कि जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा कोयले की परमिट निर्गत करने के बदले D.O धारकों से प्रति टन 10 रूपये नजराना प्राप्त करने के पश्चात कोयले का परमिट निर्गत किया जाता है अन्यथा कई कारण बताकर कोयला व्यवसायों को परेशान किया जाता है एवं परमिट रोक दी जाती है;	अस्वीकारात्मक। कोयला कम्पनियों यथा– CCL, Tata Steel आदि द्वारा समर्पित आवेदन की जाँच विभिन्न बिन्दूओं यथा– Coal Grade, Quantity, Consignee Details, Fund Availability आदि पर की जाती है, तद्नुसार परमिट आवेदन को Approve/Objection किया जाता है। परमिट आवेदन के Objection होने की स्थिति में कोयला कम्पनियों द्वारा अनुपालन समर्पित करने पर ससमय आवेदन का निपटारा किया जाता है। जहाँ तक नजराना प्राप्त करने की बात है, ऐसा कोई मामला अबतक विभाग के संज्ञान में नहीं आया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिला खनन पदाधिकारी रामगढ़ की चल–अचल सम्पति की जाँच कराकर ऐसे भ्रस्ट पदाधिकारी के विरूद्ध दण्डनात्मक कार्रवाई करते हुए D.O धारकों को कोयले की परमिट सनिर्गत कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथा–उपरोक्त।

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि०स०(तारा0)–91 / 2023 1308 / एम०, राँची, दिनांकः– 30/07/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1824 दिनांक–24.07.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/23

सरकार के संयुक्त सचिव

55

पंचम झारखण्ड विधान सभा का द्वादश (मानसून) सत्र में दिनांक 01.08.2023 को डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत–03 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत नीलाम्बर–पीताम्बरपुर प्रखण्ड के ग्राम बसौरा में 30 करोड़ की लागत से पॉलिटेक्निक संस्थान का निर्माण कराया जा रहा हैं;	– आंशिक स्वीकारात्मक। पलामू जिला अन्तर्गत नीलाम्बर–पीताम्बर प्रखण्ड के ग्राम बसौरा में राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त संस्थान के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करने की तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी अपूर्ण है, जिसके कारण क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु जिलों या राज्यों में जाना पड़ता है या निजी संस्थानों में जाकर मोटी रकम चुकानी पड़ती है;	– अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पॉलिटेक्निक संस्थान का निर्माण कार्य अविलंब पूर्ण कराकर, छात्रहित में अविलंब पठन–पाठन कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	1. विभागीय संकल्प सं0 831 दिनांक 25.08.2022 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नवनिर्मित आठ राजकीय पालिटेकनिक यथा–पलामू, जामताड़ा, गोड्डा, चतरा, लोहरदगा, खूँटी, हजारीबाग तथा बगोदर (गिरिडीह) का संचालन PREJHA Foundation के सहयोग से PPP मोड़ पर संचालित करने का निर्णय संसूचित है। PREJHA Foundation एवं राज्य सरकार के बीच एकरारनामा की कार्रवाई की जा रही है। एकरारनामा के पश्चात् PREJHA Foundation के द्वारा संचालन की जाएगी। 2. राज्य सरकार द्वारा कुल 17 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान तथा दो राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय सरकारी क्षेत्र में संचालित है। उक्त संस्थानों में नामांकन झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (JCECEB) द्वारा तैयार मेरिट लिस्ट के आधार पर लिया जाता है। तकनीकी शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु उस क्षेत्र के स्थानीय विद्यार्थियों को वरीयता नहीं दी जाती है बल्कि राज्य के किसी भी जिला के विद्यार्थी का नामांकन किसी भी संस्थान में झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (JCECEB) द्वारा तैयार मेरिट लिस्ट के आधार पर लिया जाता है।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, योजना भवन, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– उ0त0/वि0स0–08/2023 750 /राँची, दिनांक– 31.07.23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक 1707 दिनांक 22.07.2023 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/7/23
(सरकार के उप सचिव)

(56)

2145
29/07/2023

डॉ0 सरफराज अहमद, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–04

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत गाण्डेय प्रखंड में झारखण्ड शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विद्यालयों में आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए नव उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालयों में वर्ष 2008–09 में एक करोड़ 73 लाख 87 हजार, 100/– रुपये की लागत से अतिरिक्त वर्ग कक्ष बनाने की योजना ली गयी थी;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 81 दिनांक 10.09.2008 द्वारा +2 उच्च विद्यालय, गाण्डेय में भवन निर्माण हेतु कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह को कुल रु. 13700000/– (एक करोड़ सैंतीस लाख) की राशि उपलब्ध करायी गयी। जिसे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा जिला परिषद्, गिरिडीह को भवन निर्माण हेतु कुल रु. 10960000.00 (एक करोड़ नौ लाख साठ हजार) की राशि उपलब्ध करायी गयी। शेष रु. 2740000.00 (सताईस लाख चालीस हजार) की राशि, राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची को समर्पित कर दी गयी।
2.	क्या यह बात सही है कि प्राक्कलित राशि के विरुद्ध एक करोड़ नौ लाख 60 हजार रुपये आवंटित करने के बाद भी उक्त विद्यालयों में निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक। उपलब्ध करायी गयी राशि से जिला परिषद्, गिरिडीह द्वारा विद्यालय भवन की छत ढलाई, फर्श एवं दीवारों पर प्लास्टर का कार्य पूर्ण किया गया है, परन्तु विद्यालय भवन में विद्युत आपूर्ति हेतु वायरिंग, खिड़की एवं दरवाजे तथा रंग–रोगन आदि कार्य शेष है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विलंब के लिए दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के साथ–साथ वर्णित अधूरा निर्माण कार्य को पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभाग स्तर से समरूप मामले में अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु डी0एम0एफ0टी0 मद से प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने तथा उपायुक्त की सहमति के पश्चात् पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति एवं निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर अवशेष कार्य को पूर्ण कराये जाने का निदेश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक 1825 दिनांक 28.07.2023 द्वारा, उपायुक्त, गिरिडीह की सेवा में *DMFT* मद के अन्तर्गत विद्यालय भवन को पूर्ण कराये जाने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है।

29/07/2023
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–168/2023 2145 राँची, दिनांक 29/07/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/2023
सरकार के अवर सचिव।

(57)

श्री कोचे मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–06 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिला के कर्रा, तोरपा एवं रनिया प्रखण्ड एवं सिमडेगा जिला के बानो प्रखण्ड अन्तर्गत आने वाले पर्यटन केन्द्रों को पर्यटन सूची में शामिल कर पर्यटन विकास का कार्य कर रही है,	1.	आंशिक स्वीकारात्मक
2.	यदि उपरोक्त प्रश्न खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इन प्रखण्डों में बचे हुए पर्यटन केन्द्रों को सूची में शामिल कर विकास करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	2.	विभागीय अधिसूचना संख्या–05, दिनांक 27.04.2016 द्वारा पर्यटक स्थल अधिसूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद तथा तदोपरांत राज्य पर्यटन संवर्धन समिति द्वारा विचार कर अनुशंसा करने पर विभाग द्वारा पर्यटक स्थल अधिसूचित किया जाता है। खूँटी जिला तथा सिमडेगा जिला के अन्य स्थलों को पर्यटक स्थल अधिसूचित करना जिला पर्यटन संवर्धन परिषद तथा तदोपरांत राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/85/2023...1105.../राँची, दिनांक...28.07.2023...

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1692/वि०स०, दिनांक–22/07/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/07/23
सरकार के संयुक्त सचिव

(58)

श्री दशरथ गागराई, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत0–04 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि, कोल्हान विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों एवं स्नातकोत्तर विभागों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं (हो, संथाली, कुड़ुख, कुरमाली एवं मुण्डारी) के लिए शिक्षकों का पद सृजन किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि, पद सृजन के उपरांत इन पदों पर स्थायी अथवा अनुबंध आधारित नियुक्ति अब तक नहीं की गयी है, जिस वजह से संबंधित विषयों का पठन–पाठन बाधित हो रहा है ;	अस्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प संख्या–516 दिनांक 02.03.2017 एवं संकल्प संख्या–1040 दिनांक 11.05.2023 के आलोक में राजकीय विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालय में कार्यरत आवश्यकता आधारित शिक्षकों के द्वारा महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्य किया जा रहा है एवं विभागीय संकल्प संख्या–1040 दिनांक 11.05.2023 के आलोक में इन शिक्षकों को यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित अंगीभूत महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक के बेसिक सैलरी रू0 57,700/– प्रतिमाह के समतुल्य मानदेय देने का प्रावधान किया गया है।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोल्हान विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों एवं स्नातकोत्तर विभागों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं (हो, संथाली, कुड़ुख, कुरमाली एवं मुण्डारी) के शिक्षकों के लिए सृजित पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	कोल्हान विश्वविद्यालय के मुख्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय को इकाई मानकर आरक्षण रोस्टर क्लीयरेंस की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है। शीघ्र ही नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जा रही है, जिसमें जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के पद भी शामिल है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 01/वि0स0–78/2023 1636 / राँची, दिनांक : 31/07/2023 /

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप–1706, दिनांक 22.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव

59

2157
30/07/2023

श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–09

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला का निरसा विधान सभा क्षेत्र औद्यौगिक खनन एवं घनी आबादी का क्षेत्र है;	वस्तुस्थिति यह है कि प्रस्तुत प्रश्न/विषय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से संबंधित नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड केकियासोल के बड़ा अम्बोना में छात्राओं के अग्रेतर पढ़ाई उच्च शिक्षा हेतु एक भी उच्च विद्यालय एवं 10+2 उच्च विद्यालय नहीं है;	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक 05 कि.मी. की परिधि तथा 5000 की आबादी पर एक माध्यमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की नीति निर्धारित है। तत्संबंधी अधिसूचना सं. 2748 दिनांक 18.11.2008 में निर्धारित शर्तों के आलोक में प्रखण्ड स्तर पर अवस्थित सभी प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों की संख्या के आलोक में आवश्यकता का आकलन कर तद्नुसार अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु सभी जिला को निदेशालयीय पत्रांक 251 दिनांक 05.02.2021 द्वारा निदेश दिया गया था। उक्त के आलोक में धनबाद जिला के मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण हेतु जिला स्तरीय समिति से प्राप्त अनुशंसा एवं विभाग में जनप्रतिनिधि तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त अनुशंसा की विभागीय स्तर पर गठित समिति द्वारा समीक्षोपरान्त समर्पित प्रतिवेदन, पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय, जिनमें नामांकित छात्र संख्या–100 या 100 से अधिक है तथा उच्च स्तरीय निर्णय के आलोक में धनबाद जिला से 12 मध्य विद्यालयों के उच्च विद्यालयों में उत्क्रमण हेतु प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में निर्णय प्रक्रियाधीन है। उक्त प्रस्ताव में धनबाद जिला के प्रखण्ड केकियासोल का *GOVT MS BARA AMBONA* का नाम सम्मिलित है।
3.	क्या यह बात सही है कि अग्रेतर पढ़ाई हेतु छात्राओं को बड़ा अम्बोना से 20 कि.मी. की दूरी तय करना पड़ता है, जिससे छात्राओं को प्रतिदिन आवागमन में परेशानी उठाना पड़ता है;	वस्तुस्थिति उक्त कंडिका–2 में स्पष्ट कर दी गयी है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" के हित में बड़ा अम्बोना के छात्राओं के अग्रेतर पढ़ाई हेतु उपरोक्त प्रखण्ड में चालू वित्तीय वर्ष में उच्च विद्यालय या 10+2 विद्यालय स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति उक्त कंडिका–2 में स्पष्ट कर दी गयी है।

30/07/2023

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–181 / 2023 2157 राँची, दिनांक 30/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/07/2023

सरकार के अवर सचिव।

(60)

श्री किशुन कुमार दास, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–वन–07 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत लावालौंग प्रखण्ड में REO पथ/PMGSY पथ क्रमशः (1) लावालौंग से रिमिरामपुर तक पथ लं०–18 कि०मी० एवं (2) लावालौंग से ग्राम–भुषाढ़ तक पथ, लं०–07 कि०मी० का निर्माण वन विभाग से अनापत्ति नहीं मिलने से वर्षों से रूका हुआ है;	अस्वीकारात्मक। 1. लावालौंग से रिमिरामपुर तक पथ लम्बाई–18 कि0मी0 एवं 2. लावालौंग से ग्राम–भुषाढ़ तक पथ, लम्बाई–07 कि0मी0 पथ का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव अप्राप्त है। लावालौंग से रिमिरामपुर पथ का Wildlife Clearance के तहत् राष्ट्रीय वन्यजीव पर्षद के पूर्वानुमति प्राप्त करने के निमित्त प्रयोक्ता अभिकरण कार्यपालक अभियंता (ग्रामीण कार्य मामले) कार्य प्रमंडल, चतरा द्वारा Parivesh.nic.in के Portal पर अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव समर्पित किया गया है। त्रुटियों का निराकरण हेतु निदेशित किया गया है, परन्तु संशोधित प्रस्ताव अबतक Portal पर upload नहीं किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण से पूर्ण एवं त्रुटि रहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसे भारत सरकार को अग्रसारित करने की कार्रवाई की जायेगी।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पथों का निर्माण रूक जाने से लगभग 40–50 हजार आबादी को यातायात की समस्या से जुझना पड़ रहा है तथा उक्त प्रखण्ड में सभी प्रकार के बुनियादी विकास कार्य जैसे–स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं अन्य विकास योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है तथा क्षेत्र विकास की दृष्टिकोण से लगातार पिछड़ती जा रही है;	कंडिका–01 में उत्तर सन्निहित है। उपरोक्त वर्णित प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित विषय के गंभीरता को देखते हुए सड़क/पथ की निर्माण हेतु अनापत्ति दिये जाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंडिका–01 में उत्तर सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–77/2023– 2917 व0प0, दिनांक– 31/07/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1681, दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(61)

श्री मथुरा प्रसाद महतो, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–01.08.2023 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–06 का उत्तर–

प्रश्नकर्ता	उत्तर दाता
श्री मथुरा प्रसाद महतो, सदस्य विधान सभा	श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत पूर्वी टुंडी प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित प्रखण्ड में स्टेडियम नहीं होने के कारण उक्त प्रखण्ड के युवा एवं युवतियाँ अपने प्रतिभा तथा प्रशिक्षण से वंचित रह जा रहे है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	धनबाद जिलान्तर्गत टुंडी प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु उपायुक्त, धनबाद से प्रस्ताव प्राप्त होने एवं बजटीय उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल कार्रवाई किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–84/2023 1420/ राँची, दिनांक 30-07-2023

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1693/वि०स०, दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30.7.23

सरकार के संयुक्त सचिव

(62)

श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–03

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के प्रखण्ड एगारकुंड अंतर्गत ब्रिटिस काल में वर्ड एण्ड हैइर्ल्जस ग्रुप द्वारा कुमार धुर्वा में कुमारधुर्वा इंजीनियरिंग फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू किया गया था,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है तत्कालीन कंपनी द्वारा बंगाल कोल कंपनी (जमींदार) से 99 वर्षो के लिए जमीन पट्टे पर लेकर फैक्ट्री तथा श्रमिकों के आवास मुफ्त बिजली पानी एवं अन्य सुविधाओं के साथ क्वार्टर का निर्माण कराया गया था,	वांछित सूचना की मांग इस कार्यालय के पत्रांक–956 दिनांक–28.07.2023 द्वारा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं उपायुक्त, धनबाद से की गयी है।
3.	क्या यह बात सही है कि 1970 के बाद विभिन्न कारणों से फैक्ट्री बंद हो गयी तथा 1984 में टाटा कंपनी एवं बिहार सरकार के साथ K.M.C.E.L के नाम से संयुक्त उद्योग शुरू किया गया, लेकिन 1995 में शेयरों के आवंटन के मुद्दे पर विवाद के कारण टाटा कंपनी ने केस छोड़ दिया तथा बंद पड़े, फैक्ट्री की पूरी संपति को नीलामी से एपिकल एकिजम प्रा0 लि0 द्वारा खरीदा गया है,	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में कंपनी के नीलामी हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Liquidator की नियुक्ति की गयी है। Liquidation की कार्रवाई पूर्ण प्रतिवेदित नहीं है।
4.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त फैक्ट्री परिसर में 30 (तीस) वर्षो से रह रहें श्रमिकों के वंशज परिवारों द्वारा फैक्ट्री बंद होने के कारण जीवनयापन कर रहे है तथा आवासों का स्वयं मरम्मती, स्वयं से विद्युत क्नेकसन लेकर विपत्र का भुगतान तथा चिरकुडा नगर परिषद को होल्डींग टैक्स के रूप में राजस्व का भुगतान कर रहे है तथा फैक्ट्री से बकाया मजदूरी भुगतान की आस में जी रहे है,	वांछित सूचना चिरकुण्डा नगर परिषद धनबाद क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रतिवेदन हेतु पत्रांक–955 दिनांक–28.07.2023 के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग तथा कार्यपालक पदाधिकारी, चिरकुण्डा नगर परिषद से अनुरोध किया गया है।
5.	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संविधान में उल्लेखित आजीविका के अधिकारो के प्रावधनों के तहत उपरोक्त आवासें में रह रहे श्रमिकों के आश्रितों को वासगित पर्चा निर्गत करने व बकाया मजदूरी भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वांछित सूचना की मांग इस कार्यालय के पत्रांक–956 दिनांक–28.07.2023 द्वारा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं उपायुक्त, धनबाद से की गयी है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01 / विधानसभा–03–39 / 23 960 /राँची, दिनांक:– 31/07/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1910 दिनांक– 25.07.2023 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/23
सरकार के अवर सचिव

(63)

2147
29/07/2023

श्री विनोद कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–01

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बगोदर प्रखण्ड में उच्च विद्यालय, डोरियो, उच्च विद्यालय, देवराडीह, उच्च विद्यालय, दोनदलो, उच्च विद्यालय अटका और सरिया प्रखण्ड में उच्च विद्यालय मोकामो, उच्च विद्यालय कासियाडीह, उच्च विद्यालय, कर्णाडीह और उच्च विद्यालय, केशवारी तथा बिरनी प्रखण्ड में उच्च विद्यालय रुपायडीह, उच्च विद्यालय कपिलो, उच्च विद्यालय, दलांगी, उच्च विद्यालय, सारंडा, उच्च विद्यालय, बाराडीह, उच्च विद्यालय, बाघानल, उच्च विद्यालय, भरकट्टा में भवन/अतिरिक्त वर्गकक्ष के अभाव में छात्र–छात्राओं का पठन–पाठन में कार्य सूचारू रूप से नहीं हो पाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उच्च विद्यालय, मोकामो, सरिया, उच्च विद्यालय, दलांगी, बिरनी, उच्च विद्यालय, बाराडीह, सरिया को छोड़कर अन्य में 09 अथवा उससे अधिक वर्गकक्ष उपलब्ध है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्गकक्ष के अभाव में उच्च विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति कम हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। उक्त विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात में अतिरिक्त वर्गकक्ष का निर्माण कराने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आवश्यक निदेश दिये गये हैं। सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार के पत्रांक *D.O.No. 21-8/2022-IS9* दिनांक 30.12.2022 तथा भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के सचिवों के संयुक्त पत्रांक *F.No. 21-8/2022-IS-9-Part(I)* दिनांक 19.12.2022 द्वारा विद्यालयों के बुनियादी आधारभूत संरचना को पूरा करने हेतु जिले में 15वीं वित्त आयोग, मनरेगा तथा *DMFT* में उपलब्ध निधि का उपयोग करते हुए पूरा करने का निदेश दिया गया है। भारत सरकार के इस पत्र के आलोक में जिले के विद्यालयों में यू–डायस के आधार पर पायी गई बुनियादी आधारभूत संरचनाओं की कमियों को पूरा करने हेतु सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा *DMFT* में उपलब्ध निधि से जिले के सरकारी विद्यालयों में बुनियादी आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के संबंध में पत्रांक *JEPC/CIV/03/767/2022/114* दिनांक 11.01.2023 द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिला सहित सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र निर्गत किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उच्च विद्यालयों में अतिरिक्त वर्गकक्ष भवन की स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त खंडों में सन्निहित है।

29/07/2023

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–170 / 2023...2147..... राँची, दिनांक 29/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/2023

सरकार के अवर सचिव।

64

श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–वन–12 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि पर्यटन, कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग के विभागीय सचिव के पत्रांक–1878, दिनांक–07.12.2022 द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास झारखण्ड, राँची से वन क्षेत्रों में स्थित पर्यटक स्थलों पर इको पर्यटन विकास हेतु श्रेण–A, B, C में वर्गीकृत करते हुए विकसित करने हेतु प्राक्कलन की मांग की गई है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत (1)–महुआडांड़ प्रखण्ड में लोध फॉल (2)–गारू प्रखण्ड में सुग्गाबांध एवं मिरचईया फॉल (3)– बरवाडीह प्रखण्ड में पलामू किला, कमलदह झील, पहाड़ी मन्दिर, ततहा गर्म झरना, केचकी–कोयल औरंगा नदी संगम स्थल, मण्डल डैम (4)–मनिका प्रखण्ड अन्तर्गत–डोकी छतर बाबा मन्दिर, देवतवा टोंगरी, दोमुहान नदी इत्यादि कई महत्वपूर्ण रमणीय पर्यटक स्थल है, जहां सालों भर पर्यटक का आना जाना बना रहता है, जो वन क्षेत्र अन्तर्गत आते है;	स्वीकारात्मक। क्रम संख्या (1), (2), (3) में वर्णित स्थल पलामू ब्याघ्र आरक्ष के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पड़ते है तथा क्रम संख्या (4) में वर्णित स्थल लातेहार वन प्रमण्डल के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मनिका प्रखण्ड में पड़ते हैं।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड 01 में वर्णित पर्यटन विभाग के पत्राचार के आलोक में खण्ड 02 में वणित पर्यटक स्थलों को ईको पर्यटन विकास हेतु प्राक्कलन बना कर विकसित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	खण्ड 02 में वर्णित पर्यटक स्थलों मे से:– (1) महुआडांड़ प्रखण्ड में लोध फॉल में लकड़ी का पुल, पहुंच पथ इत्यादि कार्य, (2) गारू प्रखण्ड में सुग्गाबांध में वर्णित लकड़ी का पुल एवं गजीबों का कार्य, (3) बरवाडीह प्रखण्ड में कमलदह झील में वाच टावर लकड़ी का पुल, केचकी में कोयल–औरंगा नदी संगम पर कॉटेज, कैफेटेरिया, गजीवों का कार्य इको पर्यटन विकास हेतु किया गया है तथा बरवाडीह प्रखण्ड अन्तर्गत पहाड़ी मन्दिर, ततहा गर्म झरना, मंडल डैम एवं पलामू किला में इको विकास पर्यटन विकास हेतु योजना एवं प्राक्कलन तैयार किया गया है जो प्रक्रियाधीन है। खण्ड–2 के क्रम सं0 4 में वर्णित लातेहार वन प्रमंडल के मनिका प्रक्षेत्र अन्तर्गत डोकी छतर बाबा मन्दिर, देवतवा टोंगरी, दोमुहान नदी स्थल आदि पर्यटन कला, संस्कृति खेल–कूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा समर्पित जिलावार (प्रक्षेत्रवार) पर्यटन स्थलों की अधिसूचित सूची में सम्मलित नहीं है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–82/2023–2919 व0प0, दिनांक– 31/07/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1816, दिनांक–24.07.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(65)

2140
29/07/2023

श्री भानु प्रताप शाही, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–02

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखण्ड–केतार में पांचाडुमर मध्य विद्यालय, प्रखण्ड–सगमा में सगमा मध्य विद्यालय, प्रखण्ड–विशुनपुरा में विशुनपुरा मध्य विद्यालय, प्रखण्ड–भवनाथपुर में भवनाथपुर मध्य विद्यालय एवं कैलान मध्य विद्यालय अवस्थित है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय नहीं होने से उक्त सभी प्रखण्ड के छात्र–छात्राओं को पढ़ने के लिये अन्यत्र या स्थापना अनुमति विद्यालयों में हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक। (i) केतार प्रखण्ड के अंतर्गत लोहिया समता उच्च विद्यालय, केतार, उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय, परसोडीह एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय, छाताकुण्ड, (ii) सगमा प्रखण्ड के अंतर्गत स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय, सगमा एवं उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय, बीरबल, (iii) विशुनपुरा प्रखण्ड के अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, सरांग बटौआ, राज राजेन्द्र प्रताप देव स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय विशुनपुरा एवं उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय पिपरीकला तथा (iv) भवनाथपुर प्रखण्ड के अंतर्गत राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय, भवनाथपुर, परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, भवनाथपुर एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बनखेता अवस्थित है, जिसमें उपर्युक्त मध्य विद्यालय के छात्र–छात्राओं का नामांकन एवं पठन–पाठन कार्य किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या राज्य सरकार खण्ड–1 में वर्णित सभी मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित करके उच्च विद्यालय का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक पंचायत में न्यूनतम् 01, +2 उच्च विद्यालय एवं प्रत्येक 05 कि. मी. की परिधि एवं 5000 की आबादी पर 01, उच्च विद्यालय की स्थापना/उत्क्रमण के लक्ष्य अनुरूप क्रमशः कार्य किया जा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा के कार्यालय पत्रांक 1234 दिनांक 20.09.2022 से भवनाथपुर प्रखण्ड के मध्य विद्यालय, चेरवाडीह, मध्य विद्यालय, हरिहरपुर एवं मध्य विद्यालय मझिआंव ईस्ट, सगमा प्रखण्ड के मध्य विद्यालय, सगमा एवं विशुनपुरा प्रखण्ड के मध्य विद्यालय, विशुनपुरा का उच्च विद्यालय में उत्क्रमण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो संप्रति प्रक्रियाधीन है।

29/07/2023

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–169 / 2023 2140 राँची, दिनांक 28/07/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/07/2023

सरकार के अवर सचिव।

(66)

श्री अमित कुमार यादव, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–01.08.2023 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–09 का उत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री अमित कुमार यादव, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत चलकुशा प्रखण्ड मुख्यालय, बरकट्ठा प्रखण्ड के बेडोकला तथा कोडरमा जिला अंतर्गत जयनगर प्रखण्ड मुख्यालय में स्टेडियम का निर्माण अब तक नहीं कराया गया है, जिस कारण स्थानीय खिलाड़ियों को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ता है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** वित्तीय वर्ष 2015–16 में हजारीबाग जिलान्तर्गत बरकट्ठा प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है जो अद्यावधि पूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में कोडरमा जिलान्तर्गत जयनगर प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, कोडरमा के पत्रांक– 742, दिनांक– 28.07.2023 के अनुसार उक्त निर्माण कार्य एक माह के अंदर पूर्ण हो जाएगी। हजारीबाग जिला अंतर्गत चलकुशा प्रखण्ड मुख्यालय में स्टेडियम निर्माण हेतु उपायुक्त से प्रस्ताव की मांग की गई है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालय एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर स्टेडियम निर्माण कराने का प्रावधान है;	मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 608 दिनांक 20.04.2012 द्वारा राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक–एक स्टेडियम निर्माण हेतु निर्णय है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त स्थानों पर स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	हजारीबाग जिलान्तर्गत चलकुशा प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण हेतु उपायुक्त, हजारीबाग से प्रस्ताव प्राप्त होने एवं बजटीय उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल कार्रवाई किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–89/2023 1121/ राँची, दिनांक 30.07.2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1904/वि०स०, दिनांक–25.07.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30.07.23

सरकार के संयुक्त सचिव

(67)

श्री रामदास सोरेन, स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 01.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–08 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के मुसाबनी, डूमुरिया एवं गुडाबंदा प्रखण्ड अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्ड में उक्त महाविद्यालय नहीं होने के कारण उक्त क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा की पढ़ाई हेतु लगभग 45–50 कि0मी0 की दूरी तय कर बहरागोड़ा या जमशेदपुर जाना पड़ता है जिसके कारण उक्त छात्रों को काफी परेशानी होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत घाटशिला कॉलेज, घाटशिला, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर, करीम सिटी कॉलेज (अल्पसंख्यक महाविद्यालय), जमशेदपुर, जमशेदपुर को–ऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर, ए0बी0एम0 कॉलेज, जमशेदपुर, एल0बी0एम0एम0 कॉलेज, जमशेदपुर, जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज, जमशेदपुर डिग्री स्तरीय महाविद्यालय संचालित है। मुसाबनी प्रखण्ड घाटशिला विधानसभा के अंतर्गत है जहां अंगीभूत महाविद्यालय घाटशिला कॉलेज, घाटशिला तथा दो संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय JKM College of Management सालवनी एवं BDSL महिला महाविद्यालय, घाटशिला संचालित है। डुमरिया प्रखण्ड पोटका विधान सभा अंतर्गत है जहां अंगीभूत महाविद्यालय एल0बी0एम0एम0 कॉलेज, करणडीह संचालित है। इसके अतिरिक्त पोटका प्रखण्ड में एक डिग्री महाविद्यालय की स्थापना किया जा रहा है। गुडाबन्दा प्रखण्ड बहरागोड़ा विधान सभा अंतर्गत है जहां अंगीभूत महाविद्यालय बहरागोड़ा महाविद्यालय, बहरागोड़ा तथा दो संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय AJK महाविद्यालय, चाकुलिया एवं शिबू रंजन खाँ महाविद्यालय, चाकुलिया संचालित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित विधानसभा क्षेत्र के मुसाबनी प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	वर्तमान में प्रखण्ड स्तर पर डिग्री महाविद्यालय की स्थापना का अभी कोई निर्णय नहीं है। इसके अतिरिक्त GER को देखते हुए जिलावार अतिरिक्त महाविद्यालयों की स्थापना हेतु योजना तैयार की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01 / वि0स0–83 / 2023 1630 / रॉची, दिनांक 31/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–1822, दिनांक–24.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

(68)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–वन–11 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला अंतर्गत महागामा विधानसभा क्षेत्र में पर्यावरण प्रेमियों के निमित्त बायोडायवर्सिटी पार्क (जैव विविधता केन्द्र) की आवश्यकता है;	जिला गोड्डा अंतर्गत महागामा विधानसभा क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी पार्क (जैव विविधता केन्द्र) नहीं है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त केन्द्र हेतु अबतक सर्वेक्षण नहीं हो पाया है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार महागामा में बायोडायवर्सिटी पार्क (जैव विविधता केन्द्र) की स्थापना करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	गोड्डा शहर के निकट एक बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया गया है। वर्तमान में महागामा विधानसभा क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी पार्क निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–81/2023–2800 व0प0, दिनांक–31/07/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1815, दिनांक–24.07.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

69

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–06

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट गोड्डा की अध्यक्षता में 2020–21 से 2022–23 तक सम्पन्न न्यास परिषद की बैठक में जनहित में लिये गये निर्णय के आलोक में विकास योजनाओं का क्रियान्वयन लंबित है;	अस्वीकारात्मक। प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि महागामा विधान सभा क्षेत्र में कराये जाने वाले योजनाओं का प्रशासनिक स्वीकृति, प्राक्कलन निर्माण में देर होने के कारण उन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होने से वहाँ के लागों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। PMKKKY के दिशा–निर्देशों के अनुरूप ग्रामसभा से पारित योजनाओं का कार्यान्वयन ससमय किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बैठक के निर्णय पर महागामा विधान सभा क्षेत्र में डीएमएफटी मद से स्वीकृत पूर्ण/अपूर्ण योजनाओं की लंबित सूची उपलब्ध कराते हुए सूची के अनुरूप अबतक के लम्बित योजनाओं का कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इससे संबंधित उपायुक्त–सह–अध्यक्ष जिला फाउण्डेशन ट्रस्ट, गोड्डा के पत्रांक– 385, दिनांक– 31.07.2023 की प्रति संलग्न।

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि०स०(तारा0)–89/2023 1322/एम०, राँची, दिनांकः– 31/07/2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1825 दिनांक–24.07.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/23

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक– DMFT/I-19/2018/...385.......

समाहरणालय, गोड्डा

(डी०एम०एफ०टी० कोषांग)

Email ID :- dmftgodda@gmail.com

प्रेषक,

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,
जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट,
गोड्डा।

सेवा में,

निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची

गोड्डा, दिनांक- ...31.../...07../2023

विषयः- श्रीमती दिपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक-01.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ख०-06 के उत्तर सामग्री का प्रेषण।

प्रसंग :- भवदीय ज्ञापांक-1252/एम०, दिनांक- 26.07.2023 एवं पत्रांक-1666, दिनांक-30.07.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में श्रीमती दिपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक-01.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ख०-06 के संबंध में प्रतिवेदन यथा निर्धारित विहित प्रपत्र में भेजा जा रहा है, जो निम्न प्रकार है:-

क्र०	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत योजना का नाम	प्राक्कलन की स्तिथि (तैयार /प्रक्रियाधीन)	प्राक्कलित राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की स्तिथि (निर्गत / प्रक्रियाधीन	योजना के कार्यान्वयन की स्तिथि (पूर्ण / प्रक्रियाधीन)
1	2	3	4	5	6	7
1	2020-21	कोविड-19 के रोकथाम संबंधित कार्य यथा- उपचार एवं रोकथाम, कोरेंटीन सेंटर का संचालन, प्रवासी एवं गरीबजनों के भोजनादि की व्यवस्था तथा चिकित्सा उपकरण का क्रय।	तैयार	2,29,55,516.00	निर्गत। संपूर्ण गोड्डा जिला।	पूर्ण
2	2021-22	Mahagama प्रखण्ड मुख्य पथ से एफ.सी.आई. गोदाम Mahagama तक पी.सी.सी. पथ निर्माण कार्य।	तैयार	16,94,200.00	निर्गत	पूर्ण
3	2021-22	ठाकुरगंगटी प्रखण्ड अन्तर्गत नयाचक पी.डब्लू.डी. सड़क से रंगायचक होते हुए झुरकुसिया तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	तैयार	23,20,900.00	निर्गत	पूर्ण
4	2021-22	ठाकुरगंगटी F.C.I गोदाम में पार्किंग स्थल निर्माण कार्य।	तैयार	13,37,000.00	निर्गत	पूर्ण
5	2021-22	मेहरमा मुख्य सड़क F.C.I गोदाम तक पहुँच पथ एवं पार्किंग स्थल निर्माण कार्य।	तैयार	24,97,100.00	निर्गत	पूर्ण

6	2021-22	Mahagama प्रखण्ड अन्तर्गत घाट भागाबांध में पी॰सी॰सी॰ पथ निर्माण।	तैयार	55,39,900.00	निर्गत	पूर्ण
7	2021-22	ग्राम बीरनगर में दास मरांडी घर से इमली पोखर तक पी॰सी॰सी॰ पथ निर्माण।	तैयार	24,24,500.00	निर्गत	पूर्ण
8	2021-22	मुख्य सड़क बनियाडीह से श्मशानघाट तक पी॰सी॰सी॰ पथ निर्माण।	तैयार	28,16,700.00	निर्गत	पूर्ण
9	2021-22	मेहरमा प्रखण्ड अन्तर्गत मेहरमा मुख्य बाजार के मुख्य सड़क से शीतला स्थान तक पी॰सी॰सी॰ पथ निर्माण।	तैयार	22,86,000.00	तैयार	पूर्ण
10	2021-22	ग्राम हीरा खुटहरी में प्राथमिक स्कूल, हीरा खुटहरी से दुर्गा स्थान होते हुए मेन रोड तक पी॰सी॰सी॰ पथ निर्माण।	तैयार	19,38,100.00	तैयार	पूर्ण
11	2021-22	सचिदानंद घर से श्याम पासवान घर तक पी॰सी॰सी॰ पथ का निर्माण।	तैयार	7,50,200.00	निर्गत	पूर्ण
12	2021-22	अनिल महतो के घर से भागवत पासवान के घर तक पी॰सी॰सी॰ पथ का निर्माण।	तैयार	10,88,200.00	निर्गत	पूर्ण
13	2021-22	फिटागी रजक के घर से मेन रोड तक पी॰सी॰सी॰ पथ का निर्माण।	तैयार	3,30,000.00	निर्गत	पूर्ण
14	2021-22	जंगलु पंडित घर से स्कूल होते हुए बिजली देवी के घर तक शेष भाग में पी॰सी॰सी॰ पथ का निर्माण।	तैयार	2,73,900.00	निर्गत	पूर्ण
15	2021-22	मधुरा में काली स्थान के पास नाला में पूल का निर्माण।	तैयार	6,70,200.00	निर्गत	पूर्ण
16	2021-22	ग्राम दरियापुर में दरगाह पोख का जिर्णाद्धार	तैयार	37,63,800.00	निर्गत	पूर्ण
17	2021-22	Construction of 110 FT. Long Boundary Wall at CHC Thakurgangti	तैयार	1,80,500.00	निर्गत	पूर्ण
18	2021-22	ग्राम समरी में आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण।	तैयार	13,92,300.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
19	2021-22	ठाकुरगंगटी प्रखण्ड अन्तर्गत 1000 MT अनाज गोदाम का निर्माण कार्य (पार्किंग एवं शेड की व्यवस्था सहित)	तैयार	1,51,00,000.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
20	2021-22	Mahagama प्रखण्ड अन्तर्गत 1000 MT अनाज गोदाम का निर्माण कार्य (पार्किंग एवं शेड की व्यवस्था सहित)	तैयार	1,51,00,000.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
21	2021-22	मेहरमा प्रखण्ड अन्तर्गत 1000 MT अनाज गोदाम का निर्माण कार्य (पार्किंग एवं शेड सहित)	तैयार	1,51,00,000.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन

22	2021-22	मौजा गोविन्दपुर दाग न० 23 पर ईम्पोरीयम सह शॉपिंग कंप्लेक्स निर्माण ।	तैयार	22,77,500.00	निर्गत	पूर्ण
23	2021-22	1000 MT मेहरमा गोदाम के मरम्मति एवं रंग रोगन कार्य ।	तैयार	1,18,500.00	निर्गत	पूर्ण
24	2021-22	जवाहर नवोदय विद्यालय, ललमटिया में पेयजल की व्यवस्था।	तैयार	17,08,944.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
25	2022-23	जिलान्तर्गत महागामा अनुमंडल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (50 बेड) के नये भवन निर्माण	तैयार	24,00,74,400.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
26	2022-23	आंगनबाड़ी केन्द्र कोयला 4 का भवन निर्माण।	तैयार	13,92,300.00	निर्गत	पूर्ण
27	2022-23	आंगनबाड़ी केन्द्र कर्कटदिह का भवन निर्माण।	तैयार	13,92,300.00	निर्गत	पूर्ण
28	2022-23	ग्राम मधुरा में सत्यनारायण सिंह के घर से गोस्वामी शोका के घर होते हुए मेन रोड तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। (लम्बाई-550 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	तैयार	27,30,900.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
29	2022-23	बेलटिकरी मध्य विद्यालय से डोमन मंडल के घर तक पी.सी.सी. निर्माण। (लम्बाई-323 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	तैयार	20,45,900.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
30	2022-23	ग्राम नारायणपुर सामेपत्ती में अजीम अंसारी के घर से मध्य विद्यालय तक 300 मीटर पी.सी.सी. सड़क निर्माण। (लम्बाई-300 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)		21,35,900.00		प्रक्रियाधीन
31	2022-23	महागामा प्रखण्ड अन्तर्गत समरी में विसम्भराकित्ता हुन्डरा पी.एम.जी.एस.वाई पथ से मुरादपुर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-610 मी., चौड़ाई-3.66 मी. एवं मोटाई-0.20 मी.	तैयार	52,59,850.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
32	2022-23	महागामा प्रखण्ड अन्तर्गत घाट गम्हरिया पंचायत में एन.एच.-133 मेन रोड से अमडीहा आंगनबाड़ी केन्द्र तक पी.सी.सी. पथ निर्माण कार्य। लम्बाई-134 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	11,60,200.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
33	2022-23	मनानकरहरिया में मन्नु कोड़ा खेत के पास नदी में पुलिया निर्माण।	तैयार	46,02,300.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन

34	2022-23	ग्राम बाबुपुर कब्रिस्तान के रास्ते में पुलिया का निर्माण।	तैयार	46,02,300.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
35	2022-23	विसम्भराकिता हुन्डरा पी.एम.जी.एस.वाई. से कोलझारा तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। तीन अदद आर.सी.सी. कलवर्ट के साथ। लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	78,77,600.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
36	2022-23	मरीहा से पी.डबलू.डी. रोड तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-670 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	53,33,300.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
37	2022-23	सिमानपुर अमौर बहिरा पी.डबलू.डी. रोड से परसा तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-542 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	46,73,500.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
38	2022-23	लकड़मारा एन.एच-133 से कुशडीहा तक शेष्ष भाग में पी.सी.सी. निर्माण। लम्बाई-390 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	33,62,900.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
39	2022-23	लकड़मारा एन.एच-133 से कमरगामा तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-852.5 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	73,50,900.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
40	2022-23	दिग्घी पोखर से भगैया मेन रोड तक पी.सी.सी पथ निर्माण। लम्बाई-714 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	61,56,600.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
41	2022-23	चाँदपुर से देवनचक तक पी.सी.सी पथ निर्माण। लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	77,60,430.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
42	2022-23	ग्राम दलहाई में सुल्तान की दुकान तक पी.सी.सी. सड़क का निर्माण। लम्बाई-221.7 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	19,11,700.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
43	2022-23	ग्राम तरखरवा में मनोज किस्कू के घर से संजय हाँसदा घर तक पी.सी.सी. सड़क एवं पुलिया निर्माण। लम्बाई-120 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	11,69,500.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन

44	2022-23	मुहम्मद खुटहरी से आर.ई.ओ. पथ तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई-895.8 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	77,24,200.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
45	2022-23	ग्राम दियारा आर.ई.ओ. पथ से प्रधान मुर्मू के घर तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	77,60,400.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
46	2022-23	ग्राम सुन्दरचक मुख्य सड़क से कब्रिस्तान तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई-312.2 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	26,92,000.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
47	2022-23	ग्राम हसन करहरिया में मख्य सड़क से नूरनबी मास्टर के घर तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। (लम्बाई-300 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	तैयार	21,76,200.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
48	2022-23	ग्राम करनू में मुख्य सड़क से प्राथमिक विद्यालय तक पी॰सी॰सी॰ सड़क निर्माण। (लम्बाई-520 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	तैयार	32,75,400.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
49	2022-23	ग्राम दोगाच्छी में सकीम घर से परवेज घर होते हुए मुख्य नहर तक पी॰सी॰सी॰ सड़क एवं पुलिया निर्माण। तीन अदद ह्यूम पाइप कलवर्ट के साथ। लम्बाई-640 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	45,33,050.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
50	2022-23	ग्राम बुधवाचक में फारूक घर से कब्रिस्तान तक पी॰सी॰सी॰ सड़क निर्माण। लम्बाई-250 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	16,04,700.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
51	2022-23	ग्राम बभनियाँ में आर॰ई॰ओ॰ पथ से दुधकोल भगवाचक तक पी॰सी॰सी॰ सड़क निर्माण। एक अदद ह्यूम पाइप कलवर्ट के साथ। लम्बाई-530 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	30,74,600.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन

52	2022-23	ग्राम बारेडीह मुख्य सड़क से रूस्तम घर तक पी.सी.सी. सड़क एवं पुलिया निर्माण। लम्बाई-178.2 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	16,71,300.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
53	2022-23	ग्राम मालीचक देवुदास घर से मालीचक स्कूल तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई-271.5 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	23,41,100.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
54	2022-23	ग्राम नयाटोला मेन रोड से मसरल्ली घर तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई-310.3 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	26,75,630.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
55	2022-23	ग्राम खोरद मेन सड़क से कब्रिस्तान तक पी.सी.सी सड़क निर्माण। लम्बाई-530.8 मी., चौड़ाई-3.66 मी. एवं मोटाई-0.20 मी.	तैयार	45,76,930.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
56	2022-23	ग्राम हीरकरहरिया मुख्य सड़क से सरहुद अंसारी घर तक पी.सी.सी सड़क निर्माण। लम्बाई-230.5 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	19,87,530.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
57	2022-23	ग्राम हीरकरहरिया अमीर घर से मुस्तकीम घर तक पक्की नाली निर्माण।	तैयार	12,31,900.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
58	2022-23	ग्राम नयानगर मुख्य सड़क से मध्य विद्यालय होते हुए मंसूरी टोला तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई-188 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	16,21,100.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
59	2022-23	ग्राम लौंगाय, सुभानी मंसूरी चाय दुकान से बासुदेव भगत खेत तक पी.सी.सी सड़क निर्माण। लम्बाई-184.1 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	15,87,440.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
60	2022-23	ग्राम भांजपुर बिलास पासवान के घर से अफताब अली घर तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई-313.2 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	27,00,630.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
61	2022-23	मानिकपुर के मेन रोड से ग्राम मोहम्मद खुटहरी तक PCC पथ निर्माण। लम्बाई-800 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	44,32,800.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन

	2022-23	मुख्य सड़क से विराहिमकिता तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। लम्बाई-600 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	36,92,500.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
63	2022-23	ग्राम संग्रामपुर में पुल से मुशहरिटोला तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। लम्बाई-450 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	27,73,100.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
64	2022-23	ग्राम हरपिुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरिपुर का चहारदिवारी निर्माण। लम्बाई-630 फिट, मोटाई-10" ऊंचाई 6 फिट, गेट सहित	तैयार	17,83,800.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
65	2022-23	ग्राम गौसीचक के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गौसीचक का चहारदिवारी निर्माण। लम्बाई-850 फिट, मोटाई-10" ऊंचाई 6 फिट, गेट सहित	तैयार	23,95,900.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
66	2022-23	ग्राम मड़पा में बालसुग्रिव सिंह के घर से उदय सिंह जमीन तक नाला निर्माण। लम्बाई 1300 फिट	तैयार	17,42,600.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
67	2022-23	ग्राम गौसीचक में चिरणजीवी झा घर से अर्जून सिंह घर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-152.4 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	6,85,500.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
68	2022-23	ग्राम मड़पा में योगेन्द्र सिंह घर से मड़पा स्कुल तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। लम्बाई-213.36 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	तैयार	17,10,100.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
69	2022-23	ग्राम महुआडीह में उ0म0वि0 में चहारदिवारी निर्माण कार्य। लम्बाई-650 फिट, मोटाई-10" ऊंचाई 6 फिट, गेट सहित	तैयार	18,39,500.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
70	2022-23	ग्राम धर्मोडीह में स्कूल के पास खपड़ा पोखर का जीर्णोद्धार	तैयार	20,59,600.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
71	2022-23	ग्राम धर्मोडीह में बुढ़वा बांध का जीर्णोद्धार	तैयार	27,48,900.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
72	2022-23	ग्राम सामुकिता में शांति बांध का जीर्णोद्धार द॰ भाग	तैयार	48,07,400.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
73	2022-23	ग्राम कुशमाहरा में बड़ी पोखर का जीर्णोद्धार	तैयार	47,04,100.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
74	2022-23	ग्राम दिग्घी में बड़ी पोखर का जीर्णोद्धार	तैयार	89,33,300.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
75	2022-23	ग्राम अंजना में बांध का जीर्णोद्धार छिटका के पास	तैयार	31,23,000.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन

76	2022-23	ग्राम खोरद में बुढ़वा बांध का जीर्णोद्धार	तैयार	54,18,500.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
77	2022-23	ग्राम सुड़नी में गौचर के पास पोखर का जीर्णोद्धार एवं सुरक्षावाल का निर्माण।	तैयार	61,19,700.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
78	2022-23	ग्राम डोय में दरगाह पोखर का जीर्णोद्धार	तैयार	50,77,500.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
79	2022-23	ग्राम रजौन में बड़ी पोखर का जीर्णोद्धार	तैयार	50,78,700.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
80	2022-23	ग्राम कोलबड्डा डेनिया पोखर का जीर्णोद्धार	तैयार	26,81,300.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
81	2022-23	ग्राम नवाडीह में धोबिया पोखर का जीर्णोद्धार	तैयार	33,56,900.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
82	2022-23	ग्राम चांदा में खरबा पोखर का जीर्णोद्धार	तैयार	25,56,600.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
83	2022-23	ग्राम इटवा में करबला पोखर का जीर्णोद्धार	तैयार	34,02,700.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
84	2022-23	Chc महागमा मे जननी आश्रय का निर्माण।	तैयार	56,01,500.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
85	2022-23	कस्तूरबा गांधी बालिका अवसीयय विध्यालय , महागमा का चाहरदीवारी का निर्माण	तैयार	4,28,708.00	निर्गत	प्रक्रियाधीन
			Total :-	55,50,45,058.00		

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

विश्वासभाजन,

उपायुक्त सह-अध्यक्ष,
जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट,
गोड्डा।

पत्रांक- DMFT/I-19/2018/...880.....

समाहरणालय, गोड्डा

(डी०एम०एफ०टी० कोषांग)

Email ID :- dmftgodda@gmail.com

प्रेषक,

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,
जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट,
गोड्डा।

सेवा में,

निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची

गोड्डा, दिनांक- ..28./..07../2023

विषयः- श्रीमती दिपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक-01.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ख०-06 के उत्तर सामग्री का प्रेषण।

प्रसंग :- भवदीय ज्ञापांक-1252/एम०, दिनांक- 26.07.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में श्रीमती दिपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक-01.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ख०-06 के उत्तर सामग्री निम्न प्रकार है:-

क्र०	प्राप्त तारांकित प्रश्न	उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट, गोड्डा की अध्यक्षता में 2020-21 से 2022-23 तक सम्पन्न न्यास परिषद की बैठक में जनहित में लिये गये निर्णय के आलोक में विकास योजनाओं का क्रियान्वयन लंबित है।	अस्वीकारात्मक। प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है।	
2	क्या यह बात सही है कि महागामा विधानसभा क्षेत्र में कराये जाने वाले योजनाओं का प्रशासनिक स्वीकृति, प्राक्कलन निर्माण में देर होने के कारण उन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होने से वहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।	अस्वीकारात्मक। प्राक्कलन तैयार करने में विलंब नहीं हुई है, PMKKKY के दिशा निर्देशों के अनुरूप ग्राम सभा से पारित योजनाओं का कार्यान्वयन ससमय किया जा रहा है।	
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बैठक के निर्णय पर महागामा विधानसभा क्षेत्र में डी.एम.एफ.टी मद से स्वीकृत पूर्ण/अपूर्ण योजनाओं की	लागू नहीं।	

	लंबित सूची उपलब्ध कराते हुए सूची के अनुरूप अबतक के लंबित योजनाओं का कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो?		

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त 05 पेज।

विश्वासभाजन,

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,
जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट,
गोड्डा।

70

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–02 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला में भटिंडा फॉल एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि भटिंडा फॉल तक पहुँच पथ और सड़क सकरी है जिसके कारण पर्यटकों को आने–जाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है,	2.	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त फॉल में सुरक्षा के उपाय नहीं होने से हर साल वहाँ दुर्घटनाएँ होती है और लोग पानी में डूब जाते है,	3.	आंशिक स्वीकारात्मक स्थानीय स्तर पर विनोद बिहारी महतो स्मारक समिति के द्वारा इस स्थल की देखरेख/निगरानी की जाती है।
4.	क्या यह बात सही है कि उक्त पर्यटक स्थल पर साफ–सफाई स्वच्छता की समुचित व्यवस्था का घोर अभाव है,	4.	आंशिक स्वीकारात्मक विनोद बिहारी महतो स्मारक समिति के द्वारा इस स्थल पर साफ–सफाई इत्यादि की जाती है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सुरक्षा साफ–सफाई एवं सड़कों के निर्माण चौड़ीकरण की ठोस योजना बनाकर कार्य करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	5.	परसिया मोड़ से भटिंडा फॉल तक मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के तहत् 06 कि०मी० पक्की सड़क का निर्माण अंतिम चरण में है। भटिंडा फॉल श्रेणी 'D' का पर्यटक स्थल अधिसूचित है। विभागीय पत्रांक 1412, दिनांक 28.07.2023 द्वारा आश्यकतानुसार अधिसूचित पर्यटक स्थलों के प्रबंधन एवं साफ–सफाई की व्यवस्था जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के माध्यम से करने हेतु कार्य योजना के साथ आवश्यक बजट आकलन सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन समिति से मांगा गया है। भटिंडा फॉल के प्रबंधन व साफ–सफाई के कार्य की आवश्यकता व कार्ययोजना प्राप्त होने पर बजट उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/81/2023 1423 /राँची, दिनांक 30.07.2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1696/वि०स०, दिनांक–22/07/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.07.23
सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

71

श्री दशरथ गागराई, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–02

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कोल्हान प्रमण्डल में अवस्थित 14 अग्र परियोजना केन्द्रों में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के आधे से अधिक पद रिक्त हैं;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि ऊपर वर्णित 14 अग्र परियोजना केन्द्र मात्र तीन अग्र परियोजना पदाधिकारियों के सहारे संचालित है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऊपर वर्णित अग्र परियोजना केन्द्रों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अग्र परियोजना पदाधिकारी प्रोन्नति का पद है। सहायक अधीक्षक, रेशम के पद पर नियुक्त पदाधिकारी की प्रोन्नति अग्र परियोजना पदाधिकारी, रेशम के पद पर होती है। सहायक अधीक्षक के सभी पद वर्त्तमान में रिक्त है। विभाग द्वारा सहायक अधीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01 / विधानसभा–03–38 / 23 961 /राँची, दिनांकः– 31/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1826 दिनांक–24.03.2023 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/23

सरकार के अवर सचिव

72

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री कोचे मुण्डा, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शि–06

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय विभागीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि तोरपा प्रखंड के तोरपा पंचायत अंतर्गत मध्य विद्यालय, तोरपा, दियांकेल पंचायत के प्राथमिक विद्यालय पैरा एवं जरिया पंचायत के प्राथमिक विद्यालय उनुकदा संचालित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि इन विद्यालयों का भवन अति जर्जर स्थिति में है, जिसमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है;	**आंशिक स्वीकारात्मक ।** वस्तुस्थित यह है कि तोरपा प्रखंड अंतर्गत– (i) मध्य विद्यालय तोरपा में नामांकित 423 छात्रों के लिए विद्यालय में कुल 17 वर्ग कक्ष उपलब्ध है, जिसमें 04 वर्ग कक्ष जर्जर अवस्था में है, जिसे तोडने की कारवाई प्रक्रियाधीन है। (ii) उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पैरा में कुल नामांकित 61 छात्रों के लिए उपलब्ध 04 वर्ग कक्ष अच्छी स्थिति में हैं। (iii) प्राथमिक विद्यालय उनुकदा में नामांकित 12 छात्रों के लिए उपलब्ध 02 वर्ग कक्ष जर्जर अवस्था में है, जिसमें पठन–पाठन संचालित नहीं है। जर्जर कक्ष को तोड़ने की कारवाई प्रक्रियाधीन है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् पठन–पाठन का कार्य विद्यालय भवन के समीप पारा शिक्षक के आवास में किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में इन विद्यालयों का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्णित विद्यालयों में बुनियादी आधारभूत संरचना की आवश्यकता का आकलन कर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार के पत्रांक–D.O. No. 21-8/2022-IS9 दिनांक 30.12.2022 के आलोक में जिले में 15वीं वित्त आयोग, मनरेगा तथा DMFT में उपलब्ध निधि का उपयोग करते हुए बुनियादी आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

30/7/23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक : 17/वि.स.–3/2023...1048./राँची, दिनांक....31-07-...2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1698 दिनांक 22.07.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/7/23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(73)

श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 01.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत0–02 से संबंधित उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा मनमाने तरीके से छात्र विरोधी कार्य किए जाने पर प्रभावित छात्रगण आंदोलित है;	अस्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि एन0ई0पी0 के तहत एफ0वाई0यू0जी0पी0 में लिए नामांकनों में प्रत्येक छात्रों से वोकेशन कोर्स के लिए शिक्षक एवं पढ़ाई के लिए 350/– रूपये लिए गए थे, लेकिन किसी भी महाविद्यालय में किसी भी वोकेशनल कोर्स के लिए न तो शिक्षक रखे गए हैं और न ही पढ़ाई करायी गई है, जिस कारण हजारों छात्र समेस्टर–1 की परीक्षा में फेल हो गए है ;	अस्वीकारात्मक। NEP-2020 के तहत नामांकित प्रत्येक छात्रों से Minor Subject के प्रायोगिक विषय तथा वोकेशनल कोर्स दोनों के लिए सम्मिलित रूप से 350/– रूपए लिए गए थे। विश्वविद्यालय द्वारा 20 वोकेशनल कोर्स का चयन किया गया है। जिनमें से महाविद्यालय स्तर पर चुने गए कोर्स की पढ़ाई की व्यवस्था की गयी है।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में बी0बी0एम0के0यू0 के अन्तर्गत आने वाले अंगीभूत महाविद्यालयों जैसे :– एस0एस0एल0एन0टी0, आर0एस0पी0, बी0एस0 सिटी कॉलेज तथा पी0के0 रॉय महाविद्यालय में बंद पड़े स्नातकोत्तर के पढ़ाई को प्रारंभ कराते हुए इसी वर्ष से यहाँ क्षेत्रीय भाषाओं यथा–कुड़माली, खोरठा और संथाली इत्यादि विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारम्भ करवाते हुए बी0बी0एम0के0यू0 में औसत सुधार करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के मुख्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विषयों नई शिक्षा नीति के संदर्भ में Restructuring किया जा रहा है। इस आशय का प्रस्ताव विभाग तथा विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। जिसमे जनजातीय तथा क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई भी शामिल है। इसके आलोक में पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 01/वि0स0–77/2023 1632 / राँची, दिनांक : 31/07/2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0–1708, दिनांक 22.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव

श्री ढुलू महतो, स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–03

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि राज्य भर में खनिज पदार्थों का अवैध उत्खनन व्यापक स्तर पर हो रहा है;</td><td>अस्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि धनबाद कोयलांचल में प्रतिदिन हजारों टन कोयला का अवैध उत्खनन कर सैकड़ों ट्रकों द्वारा राज्य से बाहर भेजा जा रहा है;</td><td>धनबाद जिलान्तर्गत खनिजों के अवैध खनन/परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु झारखण्ड सरकार, खान एवं भूतत्व विभाग के ज्ञापांक–563/एम०सी०, राँची, दिनांक–05.10.2005 द्वारा गठित टास्क फोर्स अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 The Jharkhand Mineral (Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage) Rule, 2017 एवं झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।
विगत तीन वर्षो में लघु खनिजों (पत्थर, बालू, मिट्टी आदि) के बावत की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>जप्त वाहनों की संख्या</th><th>दर्ज प्राथमिकी की संख्या</th><th>वसूली की गई राशि (लाख रू० में।</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>438</td><td>52</td><td>42.89</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>299</td><td>33</td><td>48.09</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>241</td><td>35</td><td>49.96</td></tr>
</table>
विगत तीन वर्षो में वृहत खनिज (कोयला) के बावत की गई कार्रवाई की ब्यौरा निम्न प्रकार है :–
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>जप्त वाहनों की संख्या</th><th>दर्ज प्राथमिकी की संख्या</th><th>जप्त खनिज की मात्रा (टन में)</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>196</td><td>199</td><td>3274</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>193</td><td>226</td><td>27867</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>446</td><td>383</td><td>75438</td></tr>
</table>
मेसर्स बी०सी०सी०एल० के ई–मेल दिनांक–21.07.2023 द्वारा निम्न प्रतिवेदन प्राप्त है:–
In respect of BCCL, lease hold area following submission as under-
BCCI is a Government public sector undertaking, never indulge in illegal mining of coal and there is no knowledge of suchactivity. However, the mines of BCCL are scattered mainly in areas around Dhanbad and Bokaro district of Jharkhand and some portion is in Paschim Burdhwan district in West Bengal.
Illegal mining occurs from old, abandoned discontinued mine openings or from the places which are not in physical possession of BCCL and also most of the sites are not easily approachable. Also the mines are not closed completely as BCCL has future plans to reopen by amalgamating with adjoining areas.
If any activity is found, or come under notice of BCCL</td></tr>
</table>

		management, BCCL along with CISF and local administration takes prompt action and closes the rat hole or any illegal opening by dozing OB material.
3	क्या यह बात सही है कि अवैध उत्खनन भ0को0को0लि0 को भारी नुकसान हो रहा है;	मेसर्स बी०सी०सी०एल० के ई–मेल दिनांक–21.07.2023 द्वारा निम्न प्रतिवेदन प्राप्त है:– Actual amount can not be ascertained as no data available to related to loss to the BCCL.
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अवैध खनन पर अविलम्ब रोक लगाने तथा अवैध खनन से भा0को0को0लि0 को हुए क्षति की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मेसर्स बी०सी०सी०एल० के ई–मेल दिनांक–21.07.2023 द्वारा निम्न प्रतिवेदन प्राप्त है:– Security of Bharat Coking Coal limited is being looked after by Central Industrial Security Force. Central Industrial Security Force officials and colliery officials are regularly inspecting the colliery areas to check illegal mining and instances of illegal mining whenever comes to the knowledge of management, immediately corrective actions are taken such as dozing & filling the site with the help of Central Industrial Security Force & Local administration besides lodging FIR to local Administration in this respect. It is further intensified with deployment of Qick Response Team (QRT) of CISF in each Area. The team raids whenever any incident of illegal mining/coal theft anticipated. A task force at district level has also been constituted by DC Dhanbad to curb illegal mining and theft of coal. The task force comprises of DC as Chairman and members of BCCL, Supt. Of Police, DMO, DTO, DFO, SDO (Law and Order), and Commissioner Sales Tax. Regular meetings of task force are being conducted by DC, Dhanbad and necessary actions are taken by District authority as per the deliberatins in the task force meeting. Apart from this constant surveillance and supervision by CISF is being done to check illegal mining. A satellite driven surveillance system has been developed to detect the illegal mining. Mobile app 'Khanan Prahari' was launched on 04.07.2018. A coal mine surveillance and management system (CMSMS) has been developed by CMPDI in association with Bhaskaracharya Institute of Space Applications and Geo-informatics (BISAG) Gandhinagar on the directive of Ministry of Coal. Any individual can provide information about illegal mining to CMSMS through mobile App named 'Khan Prahari' and accordingly compliance and needful action is being taken by BCCL.

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(तारा0)–85 / 2023 1321 /एम०, राँची, दिनांक:–31·07·2023

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1688 दिनांक–22.07.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/23

सरकार के संयुक्त सचिव

75

2143

29/07/2023

श्री अमित कुमार मंडल, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–03

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जिला स्तर से किसी भी तृतीय वर्ग में कार्यरत कर्मी का स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा नहीं किया जाना है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2015 के अनुसार विद्यालयों में पदस्थापित तृतीय वर्ग के कर्मियों को स्थानांतरित करने का प्रावधान जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्थापना समिति को है।
2.	क्या यह बात सही है कि तृतीय वर्ग के कर्मी का तीन वर्षो के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण व पदस्थापन प्रमंडलीय/राज्यस्तर से किया जाना है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि तृतीय वर्गीय कर्मियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापना प्रमंडलीय स्थापना समिति के द्वारा किया जाता है। विशेष स्थिति में उनका अंतर्जिला स्थानांतरण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्तर से किये जाने का प्रावधान है।
3.	क्या यह बात सही है कि जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा कार्यालय में श्री अमित कुमार पाठक एन.आई.एस. कोर्डिनेटर, पोड़ैयाहाट विगत 11 वर्षो के प्रतिनियुक्ति पर श्री आशुतोष कुमार, लिपिक जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज कार्यालय में पदस्थापित विगत 9 वर्षो से जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, गोड्डा के प्रतिनियुक्ति पर, श्री निमाय चन्द्र मंडल, लिपिक, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, गोड्डा में विगत 4 वर्षो से पदस्थापित व कार्यरत हैं;	अस्वीकारात्मक। श्री अमित कुमार पाठक, एम.आई.एस. कॉर्डिनेटर, बी.आर.सी., पोड़ैयाहाट को जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, गोड्डा के ज्ञापांक 45 दिनांक 02.01.2022 के द्वारा जिला स्तरीय मध्याह्न भोजन योजना कोषांग में कार्य की अधिकता को देखते हुए की गयी है। श्री पाठक, समग्र शिक्षा अभियान के कर्मी हैं, प्रमंडलीय संवर्ग से नहीं हैं। श्री पाठक जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, गोड्डा के मध्याह्न भोजन कोषांग में लगभग डेढ़ वर्षो से प्रतिनियुक्त हैं। श्री आशुतोष कुमार, लिपिक, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, साहेबगंज का प्रतिनियोजन, जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा के पत्रांक 1253 दिनांक 13.09.2022 के द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा के कार्यालय में किया गया है। श्री निमाय चन्द्र मंडल, लिपिक, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, साहेबगंज से स्थानांतरित होकर जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, गोड्डा में दिनांक 25.08.2020 से पदस्थापित हैं। श्री मंडल का गोड्डा जिला में कार्यरत अवधि अब तक तीन वर्षो से कम है।
4.	क्या यह बात सही है कि प्रमंडलीय या राज्यस्तर पर प्रतिनियुक्ति पर रोक के बावजूद भी गोड्डा जिले में प्रतिनियुक्ति पर धड़ल्ले से पदस्थापित व कार्यरत है;	अस्वीकारात्मक। वर्त्तमान में राज्य स्तर पर प्रमंडलीय स्थापना संवर्ग के पदों के युक्तिकरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। विभाग के अधिनस्थ कार्यालयों में कैबिनेट की स्वीकृति के उपरांत आवश्यकतानुसार पदों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

श्री अमित कुमार मंडल, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–03 क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड तीन में वर्णित कर्मी की प्रतिनियुक्ति रद्द करते हुए अन्यत्र जिला स्थानांतरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड की उत्तर सामग्री कंडिका–4 में सन्निहित है।

29/07/2023
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–171 / 2023 2143 राँची, दिनांक 29/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/2023
सरकार के अवर सचिव।

(76)

श्री भूषण बड़ा, स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 01.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–11 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जैसे अत्यन्त पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति बहुल जिला स्थित सिमडेगा कॉलेज सिमडेगा सरकारी डिग्री कॉलेज में आर्थिक रूप से बेहद कमजोर छात्र/छात्राएं 60 वर्षों से इन्टरमिडियट की पढ़ाई करते आये है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि कुपति, राँची विश्वविद्यालय, राँची के नीतिगत निर्णय के आलोक में सिमडेगा कॉलेज सिमडेगा में पिछले वर्ष से इन्टरमिडियट में नामांकन एवं पढ़ाई बंद करा दिया गया है, जिस कारण यहाँ के असंख्य निहायत गरीब मेधावी छात्र/छात्राएं आर्थिक अभाव में पढ़ाई छोड़ चुके है;	स्वीकारात्मक। महाविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार सिमडेगा कॉलेज, सिमडेगा में इण्टर की पढ़ाई बंद कर दी गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यहाँ के असंख्य गरीब मेधावी छात्र/छात्राओं को सिमडेगा कॉलेज, सिमडेगा में वर्तमान सत्र में इन्टरमिडियेट में नामांकन कराकर पढ़ाई प्रारम्भ कराने एवं आगे पढ़ाई जारी रखने हेतु सरकारी अनुदान मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–2 में उत्तर सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01/वि0स0–89/2023 1635 / रॉची, दिनांक 31/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–1908, दिनांक–25.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

(77)

श्री उमाशंकर अकेला, स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–02

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखण्ड के भटबिगहा ग्राम में विकास मिर्न्लस के नाम से खाता संख्या–1, 12, 33, 35, 47, 50, प्लॉट नं0–540, 541, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, एवं 571, 600, 601 कुल रकबा 2.40 एकड़ खनन हेतु स्वीकृति दी गई है;	स्वीकारात्मक। हजारीबाग जिला के चौपारण अंचल अन्तर्गत मौजा भटबिगहा के खाता संख्या–1, 12, 33, 35, 47, 50, प्लॉट नं०–540, 541, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553 एवं 571, 600, 601 कुल रकबा 2.40 एकड क्षेत्र पर दिनांक–12.01.2016 से 11.01.2026 तक पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति उपायुक्त, हजारीबाग के द्वारा मेसर्स विकास मिनरल्स, प्रो० श्रीमती हेमलता देवी को प्रदान की गई है, जो वर्त्तमान में संचालित है।
2	क्या यह बात सही है कि इसके अलावे, कोडरमा जिला के ग्राम थाम, पंचायत थाम से सटे हुए गैरमजरूआ जमीन जिसका खाता संख्या–127, प्लॉट नं0–549, 4613, 4610 थाना नं0–317 में लगभग 2 एकड़ जमीन पर अवैध खनन किया गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक–28.07.2023 को जिला खनन पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा मौजा–थाम के प्लॉट सं०–4614 का निरीक्षण किया गया है। जिला खनन पदाधिकारी, कोडरमा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत चौपारण प्रखण्ड के मौजा–भटबिगहा में मेसर्स विकास मिनरल्स, प्रो० हेमलता देवी द्वारा प्लॉट सं०–540, 541, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 571 अंश, 600, 601 अंश कुल रकबा–2.40 एकड़ क्षेत्र पर धारित पत्थर खनन पट्टा क्षेत्र से सटे कोडरमा जिला के मौजा–थाम के प्लॉट सं०–4614 का निरीक्षण कर मापी किया गया है। मौजा–थाम के प्लॉट सं०–4614 में मापी उपरान्त 62,759 घनफुट पत्थर खनिज का अवैध खनन पाये जाने पर झारखण्ड लघु समानुदान नियमावली, 2004 के नियम–54 के तहत कार्रवाई करते हुए जिला खनन कार्यालय, कोडरमा के पत्रांक–1454/एम०, कोडरमा, दिनांक–28.07.2023 द्वारा कुल–17,74,292 रूपया का मांग पत्र अवैध खननकर्त्ता को निर्गत किया गया है। हजारीबाग जिलान्तर्गत मेसर्स विकास मिनरल्स, प्रो० हेमलता देवी द्वारा प्लॉट सं०–540, 541, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 571 अंश, 600, 601 अंश कुल रकबा–2.40 एकड़ क्षेत्र पर धारित पत्थर खनन पट्टा तथा पट्टा क्षेत्र से सटे कोडरमा जिला के मौजा–थाम के प्लॉट सं०–4614 का संयुक्त मापी हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
3.	यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उन लीजधारकों पर कार्रवाई करना चाहेगी जिन्होंने अवैध उत्खनन किया है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	यथा कंडिका–2

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(तारा0)–84/2023 1390 /एम०, राँची, दिनांक:– 31·07·2023

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1689 दिनांक–22.07.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

(78)

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.08.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–वन–06 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत बड़कागांव विधान सभा क्षेत्र समेत राज्य में वृहत पैमाने पर हो रही खनन कार्य के कारण हाथियों के पारंपरिक रास्ते बंद हो गए हैं, जिसके कारण आए दिन हाथियों एवं इंसानों में टकराव देखने को मिलते रहती है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। हाथियों का विचरण क्षेत्र का विस्तार अधिक होने के कारण खनन् एवं अन्य विकास कार्यों से हाथियों का आवागमन मार्ग प्रभावित होता है। विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के माध्यम से हाथी एवं अन्य वन्यप्राणियों के लिए सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त वन्यप्राणी संरक्षण के उद्देश्य से वन्यप्राणी आश्रयणी एवं अन्य संरक्षित वन क्षेत्रों के आसपास न्यूनतम 01 कि0मी0 की परिधि में खनन् कार्यों की अनुमति नहीं दी जाती है। हजारीबाग जिला अन्तर्गत बड़कागांव क्षेत्र में एन0टी0पी0सी0 एवं सी0सी0एल0 की कोल परियोजनाये है जहां खनन कार्य हो रहा है। खनन कार्य में विभिन्न तरह के गतिविधियां होने के चलते उस क्षेत्र से हाथियों एवं अन्य जंगली जानवारों का आवागमन प्रभावित होना स्वभाविक है। लेकिन खनन से हाथियों के आवामगन तथा अन्य प्रभाव कम से कम पड़े इसके लिए स्थल विशिष्ट वन्यप्राणी प्रबंधन योजना का निर्माण सभी परियोजनायों द्वारा की गई है। इसके कार्यान्वयन से हाथियों के पर्यावास में बढ़ोत्तरी के साथ हाथी एवं इंसानों के टकराव कम होगा। ऐसे बड़कागांव क्षेत्र में हाथी से जान–माल क्षति की घटना प्रतिवेदित है, जो निम्नवत है :– वर्ष | मृत की संख्या | अभियुक्ति 2021–22 | 5 | इसके अतिरिक्त मकान/फसल/अनाज आदि के क्षति के भी मामले प्रतिवेदित है। 2022–23 | शून्य 2023–24 | शून्य उपरोक्त सभी मामलों में मुआवजा का भुगतान सरकारी दर के अनुरूप ससमय कर दिया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य में हाथी गलियारा (एलीफेंट कोरिडोर) बनाने के मामले पर पहल की गई परन्तु इस संबंध में किसी भी प्रकार का परिणाम नहीं निकला जिसके कारण राज्य स्तर से इसकी अधिसूचना भी जारी नहीं की गई है एवं हाथी गलियारा नाम की कोई चीज अस्तित्व में नहीं है;	राज्य में सिंहभूम गज आरक्ष्य के अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम, जमशेदपुर तथा सरायकेला खरसांवा जिला अंतर्गत हाथियों का कुल 16 आवागमन पथ चिन्हित है। विदित है कि वर्तमान में हाथी के आवागमन हेतु गलियारा अधिसूचित करने का किसी अधिनियम/ नियमावली अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है तथा देश में किसी भी राज्य द्वारा हाथी गलियारा की अधिसूचना निर्गत नहीं किया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या वन्य प्राणियों यथा हाथियों से इंसानों की होने वाली जानमाल की क्षति को रोकने के लिए हाथी गलियारा को बनाने तथा हाथी गलियारे का खनन कंपनियों द्वारा उल्लंघन किए जाने के मामले पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–76/2023– 2926 व0प0, दिनांक– 31/07/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1682, दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव